रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062021-227658 CG-DL-E-16062021-227658

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241] नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 2021/ज्येष्ठ 26, 1943 No. 241] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 2021/JYAISHTHA 26, 1943

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2021

सं. एल-1/257/2020/केविविआ.-- केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 की उप-धारा (1) और धारा 178 की उप-धारा (2) के खंड (म) के साथ पठित धारा 66 और राष्ट्रीय विदयुत नीति के पैरा 5.7.1 (च) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

भाग - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 है।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं तथा निर्वचनः

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;
 - (ख) "आन्षंगिक सेवाओं" का वही अर्थ होगा जैसा कि ग्रिड कोड में परिभाषित है;

3254 GI/2021 (1)

- (ग) "आनुषंगिक सेवा संविदा" से आनुषंगिक सेवा प्रदान करने के लिए संविदा अभिप्रेत है;
- (घ) पावर एक्सचेंज या पावर एक्सचेंज के व्यापार सदस्य या मालिकाना सदस्य या फैसिलिटेटर सदस्य, जैसा भी मामला हो, के संबंध में "एसोसिएट" से क्रमशः कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धाराओं (6) और (76) में यथा परिभाषित एसोसिएट कंपनी या संबद्ध पार्टी अभिप्रेत है।
- (ङ) "स्वचालित ऑडिट ट्रेल" से बाद की तारीख/समय पर संदर्भ या लेखापरीक्षा के लिए पावर एक्सचेंज में संव्यवहारों (सृजन, उपांतरण या लोप) के समय-अनुक्रम का स्वचालित सृजन तथा रखरखाव अभिप्रेत है;
- (च) "बोली" से वह इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अभिप्रेत है जिसके द्वारा पावर एक्सचेंज का सदस्य उस संविदा के संबंध में कीमत एवं मात्रा प्रस्तुत करता है जिसके लिए वह संव्यवहार करने की मांग करता है।
- (छ) "बोली प्रकार" से पावर एक्सचेंज में संव्यवहारित होने वाली प्रत्येक संविदा के संबंध में यथा लागू निश्चित विनिर्देश के साथ बोली की श्रेणी अभिप्रेत है;
- (ज) "बोर्ड" से पावर एक्सचेंज का निदेशक मंडल अभिप्रेत है;
- (झ) "कार्टिलाइज़ेशन" से उन बाजार सहभागियों का कृत्य अभिप्रेत है जो आपसी सहमति द्वारा विद्युत के उत्पादन, वितरण, विक्रय, कीमत या व्यापार को सीमित या नियंत्रित करते हैं या सीमित या नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं;
- (ञ) "क्षमता संविदा" से वह संविदा अभिप्रेत है जहाँ उत्पादनकारी स्टेशन की क्षमता अग्रिम में अनुबंधित की जाती है, जिसमें संविदा की अविध के दौरान ऐसे क्रेता द्वारा जब भी आवश्यकता हो, उत्पादनकारी केन्द्र अनुबंधित विद्युत प्रेषित करने के लिए बाध्य है और क्रेता द्वारा प्रतिफल क्षमता भगतान के माध्यम से दिया जाएगा।
- (ट) "सर्कुलर व्यापार" का अर्थ और संबंध सदस्य या सदस्यों के समूह द्वारा व्यापार और संव्यवहारों से है, जिसमें विद्युत की कीमत को अभिचालित करने के लिए डिज़ाइन द्वारा या कृत्रिम बाजार की रचना के लिए डिज़ाइन द्वारा या प्रणाली से छल करने या दुरुपयोग करने के लिए एक ओर, एक या एक से अधिक इकाइयों के सदस्य या सदस्यों के समूह क्रय बोली प्रस्तुत करते हैं और दूसरी ओर, उसी सदस्य के एक या एक से अधिक इकाइयों के सदस्य या उसी समूह के सदस्य विक्रय बोली प्रस्तुत करते हैं या इसके विपरीत;
- (ठ) "समाशोधन" से पावर एक्सचेंज पर संव्यवहार के बंद के परिणामस्वरूप पावर एक्सचेंज के सदस्यों की बाध्यताओं के अवधारण की प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- (ड) "ग्राहक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने पावर एक्सचेंज के सदस्य के साथ व्यवहार करने या उसके माध्यम से क्लियरिंग करने के लिए करार निष्पादित किया है;
- (ढ) "सामूहिक संव्यवहारों" से पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में निष्पादित उन संव्यवहारों का सेट अभिप्रेत है जिनकी कीमत क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा अज्ञातकृत और समकालिक प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से खोजी जाती है;
- (ण) "कारोबार का संचालन विनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 और उसका कोई भी पुनराधिनियमन अभिप्रेत है;
- (त) "आकस्मिक संविदा" से वह संविदा अभिप्रेत है जिसमें डे अहेड संव्यवहारों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद दिवस (टी) पर निरंतर संव्यवहार होते हैं और विद्युत की डिलीवरी अगले दिवस (टी + 1) पर होती है;

- (थ) "निरंतर संव्यवहारों" से पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में निष्पादित संव्यवहारों के सेट अभिप्रेत हैं, जो कि सामूहिक संव्यवहार नहीं हैं, जहां क्रय की बोलियाँ और विक्रय की बोलियाँ कीमत-समय प्राथमिकता के साथ निरंतर आधार पर मिलान किया जाता है;
- (द) "संविदा" से विद्युत के क्रय और विक्रय के लिए विक्रेता और क्रेता के बीच करार या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र या ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र या आयोग द्वारा यथा निर्णीत कोई अन्य उत्पाद अभिप्रेत है;
- (ध) "डे अहेड संविदा" से वह संविदा अभिप्रेत है जहाँ सामूहिक संव्यवहार दिवस (टी) पर होते हैं और विद्युत की डिलीवरी अगले दिवस (टी + 1) पर होती है;
- (न) "डे अहेड बाजार (जीएएम)" से वह बाजार अभिप्रेत है जहाँ पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) पर जे अहेड संविदाएं संव्यवहारित होती हैं;
- (प) "ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र विनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
 (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों में व्यवहार के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2016 और उसका कोई भी पुनराधिनियमन अभिप्रेत है;
- (फ) "गेट क्लोज़र" से वह समय अभिप्रेत है जिस पर किसी विनिर्दिष्ट डिलीवरी की अवधि के लिए बोली बंद होती है और उक्त डिलीवरी की अवधि के लिए कोई अतिरिक्त बोली या पहले से की गई बोली का संशोधन नहीं किया जा सकता;
- (ब) "संयोजकता प्रदान करने के लिए विनियमों" से समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और सहबद्ध मामले) विनियम, 2009 और उसका कोई भी पुनराधिनियमन अभिप्रेत है;
- (भ) "ग्रिड कोड" से समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 और उसका कोई भी पुनराधिनियमन अभिप्रेत है;
- (म) "स्वतंत्र निदेशक" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा 47 में यथा परिभाषित निदेशक अभिप्रेत है;
- (य) "इनसाइडर" से निम्नलिखित व्यक्ति अभिप्रेत हैः
 - (i) जो अपने अधिकारियों के साथ नियमित संचार के कारण से या किसी संविदात्मक, वैश्वासिक या रोज़गार संबंध में होने से या पावर एक्सचेंज का निदेशक या अधिकारी या कर्मचारी होने से या पावर एक्सचेंज के साथ व्यावसायिक या कारोबारी संबंध सिहत किसी स्थान के ग्रहण होने से चाहे अस्थायी या स्थायी हो, जो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पावर एक्सचेंज पर संव्यवहारों के विषय में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना तक पहुंच की अनुमित देता है, सिहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी क्षमता में, संबंधित घटना से छह मास पूर्व के दौरान, पावर एक्सचेंज के साथ संबद्ध है या रहा है;
 - (ii) जो पावर एक्सचेंज पर संव्यवहारों के विषय में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना के लिए अधिकृत है या जिसकी इस तक पहुंच है;
- (iii) जिसने आपराधिक गतिविधि के माध्यम से अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना प्राप्त की है। (कक) इनसाइडर द्वारा "इनसाइडर व्यापार" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैः
 - (i) अन्य इनसाइडर सिहत किसी भी व्यक्ति को अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना का संचार करना, प्रदान करना, या इस तक पहुंच की अनुमित देना इसके अलावा जहाँ ऐसा संचार विधि-संगत उद्देश्यों का प्रोत्साहन हो, कर्तव्यों के प्रदर्शन या विधिक दायित्वों के निर्वहन के लिए हो;

- (ii) अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना के आधार पर, पावर एक्सचेंज पर ऐसी संविदा को प्राप्त करने या पूरा करने के लिए, जिससे वह सूचना संबंध रखती है, किसी व्यक्ति को संस्तुत करना।
- (कख) "अंतःदिवस संविदा" से वह संविदा अभिप्रेत है जिसमें निरंतर संव्यवहार दिवस (टी) पर होते हैं और विद्युत की डिलीवरी उसी दिवस पर इस प्रकार होती है कि इसकी डिलीवरी अवधि अंतःदिवस संविदा के उसी बोली सत्र में संव्यवहारित वास्तविक-समय संविदा की विनिर्दिष्ट डिलीवरी अवधि पर अतिव्याप्त न हो।
- (कग) "भार प्रेषण केंद्र" (एलडीसी) से; यथास्थिति, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी), प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र (आरएलडीसी) तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) अभिप्रेत है;
- (कघ) "प्रबंध निदेशक" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा 54 में यथा परिभाषित निदेशक अभिप्रेत है;
- (कङ) "बाजार" से ऐसा प्लेटफार्म अभिप्रेत है जहाँ क्रेता या विक्रेता, सीधे रूप से या व्यापारी अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से, या पावर एक्सचेंजों के माध्यम से, विद्युत या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों या ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों या आयोग द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य उत्पाद का क्रय या विक्रय करें;
- (कच) "बाजार कपलिंग" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा सभी पावर एक्सचेंजों से एकत्रित बोलियों का, बाजार स्पिलिटिंग के अधीन डे अहेड बाजार या वास्तविक-समय बाजार या आयोग द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य बाजार के लिए एकसमान बाजार क्लियरिंग कीमत खोजने के लिए सभी बोली प्रकारों को ध्यान में रखते हुए मिलान किया जाता है;
- (कछ) "बाजार कपलिंग प्रचालक" से बाजार कपलिंग के प्रचालन और प्रबंधन के लिए आयोग द्वारा यथा अधिसूचित इकाई अभिप्रेत है;
- (कज) "बाजार हेरफेर" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं:
 - (i) किसी बाजार सहभागी द्वारा पावर एक्सचेंज पर किसी संव्यवहार में प्रवेश करना, जिससे
 - (1) किसी भी संविदाओं की आपूर्ति, मांग, या कीमत के संबंध में झूठा या भ्रामक संकेत देता है, या दे सकता है;
 - (2) समान विद्युत प्राप्त करने के पात्र अन्य लाभार्थियों को आपूर्ति कम करते हुए पावर एक्सचेंज या ग्राहक के किसी सदस्य द्वारा अपेक्षाकृत उच्चतर विक्रय कीमत प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है;
 - (ii) मीडिया के माध्यम से ऐसी सूचना का प्रसार करना जो किसी भी संविदाओं की आपूर्ति, मांग, या कीमत के संबंध में झूठा या भ्रामक संकेत देता है, या दे सकता है;
- (कझ) "बाजार सहभागियों" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
 - (1) ग्रिड से जुड़ी इकाइयां;
 - (2) पावर एक्सचेंज;
 - (3) पावर एक्सचेंजों के सदस्य;
 - (4) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी;
 - (5) बाजार कपलिंग प्रचालक;
 - (6) ओटीसी प्लेटफार्म;
 - (7) आयोग द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य इकाई

(कञ) "बाजार स्पिलिटिंग" से पावर एक्सचेंज या बाजार कपिलंग प्रचालक, जैसा भी मामला हो, द्वारा पारेषण कॉरिडोर में विभिन्न बोली क्षेत्रों या संकुलन का सामना करते ज़ोन में विद्युत की कीमत खोजने के लिए अपनाया गया तंत्र अभिप्रेत है, जिसके द्वारा ये बोली क्षेत्र या ज़ोन स्वतंत्र बाजारों में पृथक किए जाते हैं और इन स्वतंत्र बाजारों के बीच विद्युत के प्रवाह को सुरक्षित ग्रिड प्रचालन परिस्थितियों के अधीन उपलब्ध पारेषण कॉरिडोर की सीमा तक अनुमित दी जाती है।

5

- (कट) "पावर एक्सचेंज के सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अनुसार पावर एक्सचेंज द्वारा इस रूप में और संबंधित पावर एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और कारोबार के नियमों के अनुसार स्वीकार किया गया है;
- (कठ) "शुद्धधन (नेटवर्थ)" से एसोसिएट्स को ऋण एवं अग्रिम और किए गए निवेश और बट्टे खाते नहीं डाले गई संचित हानियां, आस्थगित व्यय (विविध व्यय सहित) के कुल मूल्य द्वारा घटाए गए निर्बंध आरक्षित निधियों और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी और अनिवार्य रूप से संपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों का सकल मूल्य(पुनमूल्यांकन तथा अवक्षयण के राइट बैक से सृजित रिजर्व को छोड़कर) अभिप्रेत हैं;
- (कड) "निर्बाध पहुंच विनियमों" से समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 और उसका कोई भी पुनराधिनियमन अभिप्रेत है;
- (कढ) "ओवर द काउंटर (ओटीसी) संविदाओं" से पावर एक्सचेंजों से बाहर संव्यवहारित संविदाएं अभिप्रेत हैं;
- (कण) "ओवर द काउंटर (ओटीसी) बाजार" वह बाजार है जहाँ ओटीसी संविदाएं क्रेताओं और विक्रेताओं की बीच सीधे या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से संव्यवहारित होती हैं;
- (कत) "ओवर द काउंटर (ओटीसी) प्लेटफार्म" विद्युत के क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच सूचना के विनिमय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है;
- (कथ) "फीस का भुगतान विनियम" से समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का भुगतान) विनियम, 2012 और उसका कोई भी पुनराधिनियमन अभिप्रेत है;
- (कद) "कॉन्सर्ट में कार्यकारी व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो उसे समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (थ) और उसके किसी भी पुनराधिनियमन में दिया गया है;
- (कध) "पावर एक्सचेंज" से इन विनियमों के अधीन पावर एक्सचेंज के रूप में पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है;
- (कन) "वास्तविक-समय संविदा" से डे अहेड संविदा या अंतःदिवस संविदा या आकस्मिक संविदा के अलावा वह संविदा अभिप्रेत है, जिसमें किसी विनिर्दिष्ट डिलीवरी अवधि के लिए सामूहिक संव्यवहार दिवस (टी) या दिवस (टी-1) पर होते हैं और विद्युत की डिलीवरी दिवस (टी) पर होती है;
- (कप) "वास्तविक-समय बाजार" से वह बाजार अभिप्रेत है जहां पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) पर वास्तविक-समय संविदाएं संव्यवहारित होती हैं;
- (कफ) "आरईसी विनियमों" से समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और उसे जारी करने के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2010 और उसका कोई भी पुनराधिनियमन अभिप्रेत है;
- (कब) "व्यवस्थापन" से पावर एक्सचेंज पर संव्यवहार के निष्कर्ष के परिणामस्वरूप सदस्यों या ऐसे सदस्यों के ग्राहकों के दायित्वों के निर्वहन की प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- (कभ) "व्यवस्थापन गारंटी निधि" से पावर एक्सचेंज द्वारा निर्मित और रखरखाव की गई निधि अभिप्रेत है और पावर एक्सचेंज के डिफॉल्ट उपाय तंत्र में यथा निर्दिष्ट इसके सदस्यों या ऐसे सदस्यों के ग्राहकों के डिफॉल्ट के व्यवस्थापन के लिए उपयोग की जाती है;

- (कम) "शेयर धारक निदेशक" से पावर एक्सचेंज का निदेशक अभिप्रेत है जो शेयर धारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, और ऐसे शेयर धारकों द्वारा चयनित या नामित होता है;
- (कय) "शेयरिंग विनियमों" से समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 और उसका कोई भी पुनराधिनियमन अभिप्रेत है;
- (खक) "टर्म अहेड संविदा" से वह संविदा अभिप्रेत है जिसमें संव्यवहार दिवस (टी) पर होते हैं और विद्युत की वास्तविक डिलीवरी एक डे अहेड से अधिक एक दिवस पर होती है (टी + 2 या अधिक);
- (खख) "टर्म अहेड बाजार" से वह बाजार अभिप्रेत है जहाँ पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) पर टर्म अहेड संविदाएं संव्यवहारित होती हैं;
- (खग) "व्यापार अनुज्ञप्ति विनियमों, 2020" से समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन व शर्तें और अन्य सहबद्ध मामले) विनियम, 2020 और उसका कोई भी पुनराधिनियमन अभिप्रेत है;
- (खघ) "व्यापार अनुज्ञप्तिधारक" का वही अर्थ होगा जैसा व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2020 में परिभाषित है;
- (खङ) "संव्यवहार फीस" से पावर एक्सचेंज पर संव्यवहारों के लिए सदस्यों या ग्राहकों, जैसा भी लागू हो, द्वारा देय फीस (रुपये/किलोवाट घंटा) अभिप्रेत है;
- (खच) "अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना" से अभिप्राय पावर एक्सचेंज पर संव्यवहारित संविदाओं से संबंधित किसी ऐसी सूचना से है, जो साधारणतः उपलब्ध न हो जिसके साधारणतः उपलब्ध हो जाने पर संविदा की कीमत के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होने की संभावना हो सकती हो और जिसमें सामान्य रूप से निम्नलिखित संविदाओं से संबंधित सूचना सम्मिलित होगी परंतु जो निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होगी:
 - (i) डे अहेड संविदा;
 - (ii) वास्तविक-समय संविदा;
 - (iii) अंतः दिवस संविदा;
 - (iv) आकस्मिक संविदा;
 - (v) टर्म अहेड संविदा
- (2) जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय तथा जब तक संदर्भ के विरुद्ध न हो या विषय वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम या आयोग द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों के अधीन परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम या आयोग द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों में है।

भाग - 2

विनियम का विस्तार तथा लागू होना

- 3. ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे:
 - (1) पावर एक्सचेंज;
 - (2) पावर एक्सचेंज के अलावा बाजार सहभागी;
 - (3) ओटीसी बाजार
- 4. ये विनियम निम्नलिखित प्रकार की संविदाओं पर लागू होंगे:
 - (1) पावर एक्सचेंज पर संव्यवहारित संविदाएं:

- (क) डिलीवरी आधारित विद्युत संविदाएं:
 - (i) डे अहेड संविदा
 - (ii) वास्तविक समय संविदाएं
 - (iii) अंतःदिवस संविदाएं
 - (iv) आकस्मिकता संविदाएं
 - (v) टर्म अहेड संविदाएं
 - (vi) क्षमता संविदाएं और अनुषंज्ञी सेवाएं सिवदाएं सिहत कोई अन्य संविदाए जैसा जैसा आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए।
- (ख) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों से संबंधित संविदाएं
- (ग) ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों से संबंधित संविदाएं।
- (घ) कोई अन्य संविदाएं जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- (2) ओसीटी बाजार में संविदाएः डिलीवरी आधारित संविदाएं

भाग-3

संविदाओं की विशेषताएं

- 5. पावर एक्सचेंजों पर संव्यहारित संविदाएं
 - (1)डे अहेड संविदाएं और वास्तविक समय संविदाएं
 - (क) कीमत प्रकटीकरण
 - (i) प्रकटीकरण पावर एक्सचेंजों द्वारा या बाजार कपलिंग प्रचालन द्वारा, जब कभी आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है, किया जाएगा।
 - (ii) कीमत प्रकटीकरण तंत्र सभी प्रकार की बोलियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक अधिशेष के अधिकतमीकरण (क्रेता अधिशेष तथा विक्रेता अधिशेष का योग) के सिद्धांतों को अंगीकार करेगा।
 - (iii) बोली तंत्र डे अहेड आधार या वास्तविक समय आधार पर जैसी भी स्थिति हो पर डबल साइड क्लोज्ड, बोली नीलामी की जाएगी।
 - (iv) अनियंत्रित बाजार के लिए प्रकटीकरण की गयी कीमत सभी क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए जो क्लीयर किये गये हैं, एक समान बाजार क्लीयरिंग कीमत होगी।

बशर्ते यह कि पारेषण कारिडोर में संकुलता के मामले में मार्केट विखंडन अंगीकार किया जाएगा।

(ख) अनुसूचीकरण एवं डिलीवरीः

- (i) डे अहेड संविदा और वास्तविक समय संविदा (गेट क्लोजर, जहां भी लागू हो के लिए टाइमलाईन सिहत) के लिए संव्यवहारों की अनुसूचीकरण और डिलीवरी राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के समन्वय से होगी और निर्बाध पहुंच विनियमों तथा ग्रिड कोड के संगत उपबंधों के अनुसार होगी।
- (ii) अंतर राज्यिक और अंतः राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियां निर्बाध पहुंच विनियमों और शेयरिंग विनियमों के अनुसार होगी।

(2) अंतःदिवस संविदा और आकस्मिकता संविदाएं

(क) **कीमत प्रकटीकरणः** बोली तंत्र और कीमत प्रकटीकरण तंत्र पावर एक्सचेंज के प्रस्ताव पर आधारित आयोग द्वारा यथा अनुमोदित होगी।

(ख) अनुसूचीकरण और डिलीवरीः

- (i) अंतःदिवस संविदाओं और आकस्मिकता संविदाओं के लिए संव्यहारों की अनुसूचीकरण और डिलीवरी प्रणाली प्रचालक के समन्वय से होगी ग्रिड कोड एवं निर्बाध पहुंच के संगत उपबंधों तथा उसके अधीन जारी की गयी क्रियाविधि के अनुसार होगी।
- (ii) अंतरराज्यिक और अंतःराज्यिक पारेषण प्रभार और हानियां निर्बाध पहुंच विनियमों और शेयरिंग विनियमों के अनुसार होगी।

(3) टर्म अहेड संविदाएं

(क) कीमत प्रकटीकरणः कीमत प्रकटीकरण बोली तंत्र और कीमत प्रकटीकरण तंत्र पावर एक्सचेंज के प्रस्ताव पर आधारित आयोग द्वारा यथा अनुमोदित होगा।

(ख) अनुसूचीकरण एवं डिलीवरीः

- (i) टर्म अहेड संविदाओं के लिए संव्यहारों की अनुसूचीकरण और डिलीवरी प्रणाली प्रचालक के समन्वय से होगी ग्रिड कोड एवं निर्बाध पहुंच के संगत उपबंधों तथा उसके अधीन जारी की गयी क्रियाविधि के अनुसार होगी।
- (ii) अंतरराज्यिक और अंतःराज्यिक पारेषण प्रभार और हानियां निर्बाध पहुंच विनियमों और शेयरिंग विनियमों के अनुसार होगी।
- (iii) टर्म अहेड संविदाएं केवल विद्युत की भौतिक डिलीवरी द्वारा व्यवस्थित होगी और संव्यवहारों को निष्पादित करते हुए सहभागियों पर बाध्यकारी होगा।
- (iv) कोई भी सर्कुलर व्यापार की अनुमित नहीं होगी और टर्म अहेड संविदाओं के लिए पार्टियों के अधिकार और देयताएं किसी अन्य साधनों जो भी हो द्वारा अंतरित या रोलओवर नहीं की जाएगी।
- (4) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रः नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र में संव्यवहार आरईसी विनियमों के अनुसरण में केन्द्रीय एजेंसी द्वारा जारी की गयी क्रियाविधि के अनुसार होगी।
- (5) ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रः ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र में संव्यवहार ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र विनियमों के अनुसरण में प्रशासक द्वारा जारी की गयी क्रियाविधि के अनुसार होगी।

6. संविदा एवं व्यवस्थापन शर्तें

- (1) इन विनियमों के विनियम 5 के खंड (1) से (3) के अधीन कवर किये गये संविदाएं निर्बाध पहुंच विनियमों एवं ग्रिड कोड के अनुसार पारेषण कारीडोर या किसी अन्य तकनीकी कारणों से दबावों के कारण को छोडकर वार्षिक रूप से या कम नहीं की जा सकती।
- (2) इन विनियमों के विनियम 5 के खंड (1) से (5) के अधीन कवर किये गये संविदाओं के लिए संव्यवहारों से संबंधित भुगतानों का व्यवस्थापन इन विनियमों के विनियम 27 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (3) उत्पादन केन्द्र या उसके यूनिट या कोई अन्य स्थिति जैसा आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए फोर्स आउटेज की स्थिति में जिसमें विद्युत की आपूर्ति के लिए बाध्यता मौजूदा संविदा के अधीन जारी रहती है। वहां, उत्पादन केन्द्र इन विनियमों के विनियम 5 के खंड (1) या (2) या (3) के अधीन कवर की गयी संविदा/संविदाओं में प्रवेश करते हुए उक्त कांट्रेक्ट के अधीन अपने बाध्यता को पूरा कर सकती है।

7. ओटीसी बाजार में संव्यवहारित संविदाएं

- (1) कीमत प्रकटीकरणः ओटीसी बाजार में संविदा की कीमत एवं अन्य शर्तों को प्रत्यक्ष रूप से या कारबार अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से या प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से या जैसा कि उपयुक्त आयोग द्वारा अवधारित किया जाता है के माध्यम से क्रेताओं और विक्रेता के बीच पारस्परिक करार के माध्यम से अवधारित किया जाएगा।
- (2) डिलीवरी क्रियाविधिः ओटीसी बाजार में संविदा के लिए आवेदन निम्नानुसार किया जाएः
 - (i) निम्नलिखित के लिए निर्बाध पहुंच विनियमों के लिए
 - (क) उन्नत अनुसूचीकरण
 - (ख) प्रथम आओ प्रथम पाओं
 - (ग) डे-अहेड द्विपक्षीय संव्यवहार
 - (घ) आकस्मिकता में द्विपक्षीय संव्यवहार
 - (ii) निम्नलिखित के लिए संयोजकता विनियम प्रदान करने के लिए
 - (क) दीर्घ कालिक पहुंच
 - (ख) मध्य कालिक निर्बाध पहुंच
- (3) व्यवस्थापन स्थितियाः ओटीसी बाजार में संव्यवहारित संविदा के व्यवस्थापन को केवल विद्युत की भौतिक डिलीवरी द्वारा किया जाएगा।

भाग-4

पावर एक्सचेंज

8. पावर एक्सचेंजों के उद्देश्य

पावर एक्सचेंजों को निम्नलिखित उद्देश्यों से स्थापित या प्रचालित किया जाएगाः

- (1) विद्युत संविदाओं को डिजायन करना और इस प्रकार के संविदाओं के संव्यवहारों को सरल बनाना।
- (2) उचित, तटस्थ, कुशल और संतुलित कीमत प्रकटीकरण को सुनिश्चित करना उस समय तक जब उत्तरदायित्वों को डे अहेड संविदा या वास्तविक समय संविदा या कोई अन्य संविदा जिसे आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है के संबंध में से बाजार कपलिंग प्रचालक को स्थानांतरित किया जाता है।
- (3) व्यापक, तत्काल एवं कुशल कीमत प्रकटीकरण और प्रसार को सरल बनाना।

9. पात्रता मानदंडः

पावर एक्सचेंज की स्थापना के लिए आवेदक पावर एक्सचेंज के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित मानदंडों की पूर्ति करेगाः

- (1) आवेदक कंपनी अधिनियम 2003 के उपबंधों के अधीन शामिल किये जाने के लिए डिम्ड या शामिल किये गये शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी है।
- (2) आवेदक अपारस्परिक है
 - स्पष्टीकरणः इस उप विनियमों के प्रयोजन के लिए 'अपारस्परिक' से अभिप्रेत है कि आवेदक का स्वामित्व और प्रबंधन इन विनियमों के अनुसार व्यापार अधिकारों से पृथक किये गये हैं।
- (3) आवेदक कंपनी का मुख्य उद्देश्य पावर एक्सचेंज को स्थापित और प्रचालित करना है।

- (4) आवेदक के पास रजिस्ट्रेशन प्रदान करने के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख से तत्काल पूर्व 30 दिन के अंदर आने वाली किसी तारीख को लेखा परीक्षित विशेष तुलन पत्र के अनुसार न्यूनतम 50 करोड़ रुपये की शुद्ध मालीयत है।
- (5) आवेदक के निदेशक अर्हकताओं से संबंधित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं और इन विनियमों के विनियम 18 में यथा विनिर्दिष्ट निदेशक मंडल में नियुक्ति के लिए अनर्हक नहीं होते हैं।
- (6) आवेदक विनियम 15 में यथाविदिर्निष्ट स्वामित्व से संबद्ध तथा इन विनियमों के विनियम 17 में यथा विनिर्दिष्ट अधिशासन संरचना से संबंधित अपेक्षाओँ को पूरा करता है।

10. आवेदन सहित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

आवेदक पावर एक्सचेंज के रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आवेदन सहित निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः

- (1) कंपनी के एसोसिएशन के आर्टिकल एवं ज्ञापन
- (2) आवेदक की शुद्ध मालीयत को दर्शाते हुए रिजस्ट्रेशन प्रदान करने के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख से तत्काल पूर्व 30 दिनों के अंदर आने वाली कोई तारीख को लेखा परीक्षित विशेष तुलनपत्र।
- (3) पिछले तीन वर्षों के लिए या इस दौरान इस प्रकार की कम अविध के लिए जिसके दौरान आवेदक को शामिल किया जा सकता है आवदेक की वार्षिक रिपोर्ट और/या लेखा परीक्षित लेखों की प्रतियां
- (4) परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होंगेः
 - (क) प्रस्तावित पावर एक्सचेंज का गठन
 - (ख) प्रस्तावित पावर एक्सचेंज की निधि स्रोत सहित कारबार योजना
 - (ग) प्रस्तावित पावर एक्सचेंज के प्रबंधन एवं प्रशासनिक ढांचा
 - (घ) पावर एक्सचेंज द्वारा अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित या उपलब्ध अवसंरचना सुविधाएं
- (5) प्रस्तावित पावर एक्सचेंज के गठन से संबंधित समान्य रूप में और निम्नलिखित के लिए विशेष रूप से प्रस्तावित पावर एक्सचेंज का ड्राप्ट नियम
 - (क) पावर एक्सचेंज का निदेशक मंडल, इसके गठन और शक्तियों, और
 - (ख) पावर एक्सचेंज का प्रबंधन और ढंग जिसमें इसके कारबार को संव्यवहारित किया जाना है।
- (6) इन विनियमों के विनियम 19 में विनिर्दिष्ट पहलुओं को कवर करते हुए प्रस्तावित पावर एक्सचेंज के ड्राफ्ट कारबार नियमावली एवं ड्राफ्ट नियम उपनियम ड्राफ्ट उपनियम

11. आवेदन दाखिल करने के लिए क्रियाविधि

- (1) पावर एक्सचेंज को रजिस्ट्रेशन प्रदान करने के लिए आवेदन कारबार विनियम संचालन के अनुसार आयोग के समक्ष याचिका के रूप में दाखिल किया जाएगा।
- (2) आवेदक प्रस्तावित संव्यवहार प्लेटफार्म और वेबसाइट जहां पूर्ण आवेदन की पहुंच हैं, आवेदन दाखिल करने के 7 दिनों के अंदर एक आर्थिक दैनिक समाचार पत्रों सिहत कम से कम दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशित करेगा जिसमें समाचार पत्रों में इस प्रकार के नोटिस में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अविध सार्वजनिक आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाएंगे।
- (3) आवेदन की सवींक्षा के बाद आयोग इस प्रकार के सूचना या दस्तावेजों की मांग कर सकता है जिसे उपयुक्त समझा जाता है।
- (4) दाखिल किये गये आवेदन और आयोग द्वारा मांगी गयी सूचना पोस्ट की जाएगी और आवेदक की वेबसाइट पर रखी जाएगी, जब तक कि आयोग द्वारा आवेदन के निपटान न कर दिया जाए।

(5) आवेदक समाचार पत्रों में इसके प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर नोटिस की प्रतिक्रिया में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के उत्तर को आयोग के समक्ष दाखिल करेगा।

11

- (6) आयोग आवेदक द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक नोटिस उत्तर में प्राप्त आपित्तयों एवं सुझावों तथा सार्वजनिक नोटिस के उत्तर में प्राप्त आपित्तयों एवं सुझावों के लिए आवेदक के उत्तर पर विचार करने के बाद और संतुष्ट होने के बाद कि आवेदन ने विनियमों के विनियम 9 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों की पूर्ति करता है, पावर एक्सचेंज के प्रचालन और स्थापना के लिए आवेदक को रजिस्ट्रेशन प्रदान करने पर प्रस्ताव कर सकता है।
- (7) जहां आयोग इस विनियमों के खंड (6) के अनुसार आवेदक को रजिस्ट्रेशन प्रदान करने का प्रस्ताव करता है वहां दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में अपने प्रस्ताव के नोटिस को प्रकाशित करेगा जैसा आयोग उपयुक्त समझता है। जिसमें आवेदक के नाम और पते जिसको रजिस्ट्रेशन प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है जिसे आयोग उपयुक्त समझता है आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए अन्य ब्यौरो सहित, प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है
- (8) आवेदक आयोग द्वारा प्रकाशित नोटिस के उत्तर में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों के उत्तर दाखिल कर सकता है।
- (9) इस विनियम के खंड (7) के अनुसार प्राप्त आपितयों एवं सुझावों तथा इस विनियम के खंड (8) के अनुसार उसमें आवेदक उस उत्तर पर विचार करते हुए आयोग इन विनियम के विनियम 12 के खंड (1) के अनुसार आवेदन पर विचार करेगा।

12. पावर एक्सचेंज को रजिस्ट्रेशन प्रदान करने एवं नवीकरण

(1) आयोग इस प्रकार की जांच करने के बाद जिसे इस संबंध में आवश्यक समझा जाता है और अपेक्षित इस प्रकार की अन्य सूचना प्राप्त करने के बाद पावर एक्सचेंजों की स्थापना और प्रचालन के लिए इस प्रकार की शर्तों जिसे ठीक समझा जाता है, के अध्यधीन रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जा सकता है या लिखित में रिकार्ड किये जाने वाले कारणों के लिए आवेदन को रद्ध कर सकता है।

बशर्तें यह कि कोई आवेदन रद्द नहीं किया जाएगा। जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

- (2) पावर एक्सचेंज के रजिस्ट्रेशन प्रदान करने की तारीख से 25 वर्षों की अवधि के लिए होगा जब तक कि इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन पहले प्रतिसंग्रहण या रद्द नहीं किया गया।
- (3) आयोग पावर एक्सचेंज द्वारा दाखिल आवेदन पर इस प्रकार की जांच के बाद जिसे इस संबंध में आवश्यक समझा जाता है और अपेक्षित इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने के बाद 25 वर्षों की आगे की अविध के लिए या इस प्रकार की कम अविध के लिए रजिस्ट्रेशन का नवीकरण कर सकता है, जिसे आयोग उचित समझता है।
- (4) रजिस्ट्रेशन के नवीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रेशन की तारीख की समाप्ति से पूर्व कम से कम 1 वर्ष में पावर एक्सचेंज द्वारा दाखिल किया जाएगा।
- (5) उन पावर एक्सचेंजों को जिन्हें इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पूर्व आयोग द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है वार्षिक रजिस्ट्रेशन प्रभार के भुगतान के अध्यधीन इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रर्ड किये जाने वाला माना जाएगा।

बशर्तें यह कि इस प्रकार के पावर एक्सचेंजों को इन विनियमों के अनुसार उनके उपनियमों, नियमावली और कारबार नियमावली के अनुरूप करना होगा और इस प्रयोजन के लिए वे इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से 6 महिनों के अदंर आयोग के अनुमोदन के लिए ड्राफ्ट उपनियम, ड्राफ्ट नियमावली एवं ड्राफ्ट कारबार नियम को प्रस्तुत करेगा।

बशर्तें यह कि मौजूदा अनुमोदित उपनियम, नियमावली और कारबार नियम लागू रहेंगे जब तक कि आयोग संशोधित उप नियम, नियमावली, नियमावली कारबार नियम को संशोधित करने के लिए अनुमोदन नहीं देता है।

बशर्तें यह कि इन विनियमों की अधिसूचना के बाद मौजूदा अनुमोदित उप नियमों, नियमावली और कारबार नियमावली के अधीन किया गया या लिया गया या ली गयी कोई कार्रवाई, इन विनिमयों के उपबंधों के अनुसार अननुरूप नहीं होगी उसे, इन विनियमों के तदनुरूपी उपबंध के अधीन किया गया या लिया गया समझा जाएगा।

13. रजिस्ट्रेशन प्रभार

- (1) पावर एक्सचेंज फीस विनियमों के भुगतान में यथाविनिर्दिष्ट वार्षिक रजिस्ट्रेशन प्रभार अदा करेंगे
- (2) वार्षिक रजिस्ट्रेशन प्रभार फीस विनियमों के भुगतान के अनुसार प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक प्रतिदेय होगा।
- (3) पावर एक्सचेंज प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में वित्त वर्ष के दौरान लिये जाने वाले प्रस्तावित संव्यवहारों की मात्रा घोषित करेगा और तदनुरूपी श्रेणी के लिए वार्षिक रजिस्ट्रेशन प्रभार अदा करेगा।

बशर्तें यह कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान लिये जाने वाले प्रस्तावित संव्यवहारों की मात्रा तथा वित्तीय वर्ष के अंत में संव्यवहारों की वास्तविक मात्रा के बीच कोई अंतर होता है तो वार्षिक रजिस्ट्रेशन प्रभार अगले वित्त वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन प्रभार में समायोजित किया जाएगा।

14. शुद्ध मालीयत

पावर एक्सचेंज के पास सदैव 50 करोड़ रुपये के न्यूनतम शुद्ध मालीयत होगीः

बशर्तें यह कि उन पावर एक्सचेंजों जिन्हें इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख के पूर्व आयोग द्वारा रिजस्ट्रेशन प्रदान किया गया है इन विनिमयों की अधिसूचना की तारीख से 6 महिनों की अवधि के अंदर न्यूनतम निवल मालीयत मानदंड की पूर्ति करेंगे और शुद्ध मालीयत की अपेक्षा के अनुपालन के लिए लेखा परीक्षित विशेष तुलन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

बशर्तें कि यदि पावर एक्सचेंज की शुद्ध मालीयत किसी समय 50 करोड़ रुपये से कम हो जाती है तो जैसा आवश्यक समझा जाएगा, आयोग उस प्रकार की अवधि के अदंर शुद्ध मालीयत प्राप्त करने के लिए पावर एक्सचेंज को अनुमति दे सकता है।

15. पावर एक्सचेंज की स्वामित्व संरचना

- (1) पावर एक्सचेंज में इक्किटी धारकों के लिए शेयर होल्डिंग पद्यति निम्नानुसार होगीः
- (क) सदस्य या ग्राहक से भिन्न कोई शेयरहोल्डर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या कंसर्ट में कार्य कर रहे व्यक्तियों के साथ पावर एक्सचेंजों में शेयरहोल्डिंग से 25 प्रतिशत से अधिक अर्जन या धारण नहीं करेगा।
- (ख) सदस्य या ग्राहक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वयैक्तिक रुप से या कंसर्ट में कार्य करने वाले व्यक्ति सहित, पावर एक्सचेंज में 5 प्रतिशत की शेयर होल्डिंग से अधिक अर्जन या धारण नहीं करेगा।
- (ग) पावर एक्सचेंज के पास इकाइयों द्वारा स्वामित्व वाले इसके कुल शेयर होल्डिंग का 49 प्रतिशत का अधिकतम हो सकता है, जो सदस्य या ग्राहक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वयैक्तिक रूप से कंसर्ट में कार्य करने वाले व्यक्तियों सहित हैं।
- (2) पावर एक्सचेंजों को जिन्हें इन विनियमों की अधिसूचना की तारिख से पूर्व आयोग द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के अनिधक अविध के अदंर होगा जो इस विनियम के खंड (1) के उप खंड (क) से (ग) का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- (3) पावर एक्सचेंज प्रत्येक समय से विनियम में यथाविनिर्दिष्ट शेयर होल्डिंग सीमाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा

16. पावर एक्सचेंज के स्वामित्व के संबंध में सूचना का प्रकटन

- (1) पावर एक्सचेंज 30 अप्रैल तक आयोग को उस वर्ष के 31 मार्च को इसकी श्रेणीवार शेयर होल्डिंग पद्यति का प्रकटन करेगा या जब शेयर होल्डिंग में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है या जब कभी आयोग द्वारा निदेश दिया गया है।
- (2) पावर एक्सचेंज विषयों से संबंधित सभी संगत दस्तावेजी और रिकार्ड का रखरखाव एवं संग्रहण करेगा या कम से कम 8 वर्षों के अविध के लिए इसके शेयर को अंतरण करेगा और जब भी निर्देश दिया जाता है आयोग को उपलब्ध करवाएगा।

17. पावर एक्सचेंज की अभिशासन संरचना

- (1) पावर एक्सचेंज के निदेशक मंडल में निम्नलिखित श्रेणियों के निदेशक होंगेः
 - (क) शेयर होल्डर निदेशक
 - (ख) स्वतंत्र निदेशक, और
 - (ग) प्रबंध निदेशक
- (2) स्वतंत्र निदेशकों की संख्या पावर एक्सचेंज के शेयर होल्डर निदेशक मंडल की संख्या से कम नहीं होगी। बशर्तें यह कि इस प्रयोजन के लिए प्रबंध निदेशक शेयर होल्डर निदेशकों की श्रेणी में शामिल किये जाएंगे।
- (3) कम से कम दो नाम स्वतंत्र निदेशकों की प्रत्येक रिक्ति के लिए अनुमोदन के लिए आयोग को पावर एक्सचेंज के बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।
- (4) पावर एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्र निदेशक विभिन्न कार्य क्षेत्र से चयन किये गये है और स्वतंत्र निदेशक के रूप में विशेष व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव करने का निर्णय करते समय पावर एक्सचेंज निम्नलिखित घटकों को ध्यान में रखेगाः
 - (क) विधि, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, प्रशासन या विद्युत बाजर से संबंधित कोई अन्य क्षेत्र में अहर्कता रखने वाले व्यक्ति पर विचार किया जा सकता है।
 - (ख) विद्युत या लेखा में अनुभव और पृष्ठभूमि रखने वाले कम से कम एक व्यक्ति को शामिल किया जाएगा।
 - (ग) प्रतिष्ठित संस्थान में विश्वनीय और उत्तरदायित्वपूर्ण पद रखने वाले व्यक्ति या वह व्यक्ति जो इस प्रकार के पद से सेवा निवृत हुआ है, उस पर विचार किया जा सकता है।
 - (घ) वह व्यक्ति जो पावर एक्सचेंज के वित्तीय मामलों और वाणिज्य संविदाओं में इच्छुक पद रखने के लिए संभावित है, उसे शामिल नहीं किया जाएगा।
 - (ङ) वह व्यक्ति जो पावर एक्सचेंज की प्रमोटर इकाई के बोर्ड में निदेशक है उसे शामिल नहीं किया जाएगा।
 - (च) वह व्यक्ति जिसको पावर एक्सचेंज के किसी सदस्य के साथ कोई न्यासधारी संबंधित है उसे भी शामिल नहीं किया जाएगा।
- (5) प्रबंध निदेशक विद्युत क्षेत्र या वित्त या प्रबंध तथा सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में अहर्क व्यवसायिक होगा और पर्याप्त अनुभव रखता हो।
- (6) प्रबंध निदेशक पावर एक्सचेंज के प्रमुख कार्यकारी के रूप में कार्य करेगा और पावर एक्सचेंज के दैनिक मामलों के संबंध में उसके सभी शक्तियां प्रदान की जाएगी।
- (7) पावर एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक या कोई कर्मचारी पावर एक्सचेंज के किसी सदस्य या ग्राहक या पावर एक्सचेंज के सहभागी से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबंधित नहीं होगा और होल्डिंग या उसकी अनुषंज्ञी कंपनी का सदस्य नहीं होगा।

- (8) प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करेगा की पावर एक्सचेंज के सदस्यों की व्यक्तिगत बोलियों के ब्यौरे निदेशक मंडल के साथ शेयर नहीं किये जाते।
- (9) शेयर होल्डर निदेशकों के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों का नाम पावर एक्सचेंज निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होगा जिसे शेयर होल्डर का अनुमोदन प्राप्त होगा और उसके बाद सूचना के लिए आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (10)शेयर होल्डर निदेशकों के चयन, नियुक्त व्यक्ति त्याग पत्र और छुट्टी की रीति अधिनियम 2013 के संगत उपबंधों द्वारा अधिशासित होगा।
- (11)पावर एक्सचेंज का कोई सदस्य या उसका ग्राहक किसी पावर एक्सचेंज के निदेशक मंडल में नहीं होगा।
- (12)पावर एक्सचेंज जैसे इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पूर्व आयोग द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है। इन विनियमों के अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के अंत तक की अवधि के अंदर से विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अधिशासी संरचना के अनुरूप होगा।

18. पावर एक्सचेंज के निदेशक मंडल के रूप में नियुक्ति के लिए अहर्कताएं और अनहर्कताएं

- (1) पावर एक्सचेंज के निदेशक मंडल के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की इच्छा प्रतिष्ठित और चरित्र निष्ठा तथा ईमानदारी का रिकार्ड होना चाहिए।
- (2) पावर एक्सचेंज के निदेशक मंडल के रूप में नियुक्ति या जुड़े रहने के लिए अनहर्क के रूप में विचार किया जाएगा। यदि व्यक्ति
- (क) नैतिक या धोखाधड़ी या किसी आर्थिक अपराध या किसी विधि के विद्युत अपराध सहित किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाया गया और दोष सिद्ध की दी जाने वाली तारीख से 5 वर्षों की अविधि पूरी नहीं हुई है।
 - बशर्तें यह कि व्यक्ति किस अपराध के लिए दोषी पाया गया है और 7 वर्षों या उससे अधिक की अविध के लिए कारावास भेजा गया है तो इस प्रकार के व्यक्ति किसी पावर एक्सचेंज में निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने वाला पात्र नहीं होगा।
- (ख) अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमावली या विनियम या विद्युत के लिए अपीलिय न्यायाधिरण द्वारा किये गये आदेश और 5 वर्ष की अविध के आदेश की तारीख सेसमाप्त नहीं हुई है।
- (ग) भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के पद धारण करने से रोका गया या प्रतिबंधित करने या रोका रखा गया है या
- (घ) कार्यवाहियों को समाप्त करने में समक्ष न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश हुआ है या
- (ङ) अनडिस्चार्ज दिवालियां हो
- (च) दिवालिया के रूप में अधिनिर्णय के लिए आवेदन किया है और आवेदन अनिर्णीत है।
- (छ) सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क पाया गया और निष्कर्ष लागू है।
- (3) और कोई व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम 2003 के अधीन निर्धारित निदेशक की नियुक्ति के लिए किसी अनहर्कताओं में शामिल हैं, पावर एक्सचेंज के निदेशक निदेशक नियुक्ति या बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा।
- (4) यदि पावर एक्सचेंज का कोई शेयर होल्डर या इसकी नामिती पावर एक्सचेंज के बोर्ड निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने से रोका जाएगा।
- (5) यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि व्यक्ति पावर एक्सचेंज के बोर्डके निदेशक के रूप में अनहर्क है तो आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

19. पावर एक्सचेंज के उप नियम, नियमावली और कारबार नियम

- (1) पावर एक्सचेंज आयोग द्वारायथा अनुमोदित इसके उप नियम, नियमावली कारबार नियमों के अनुसार कार्य करेगे जिसमें अन्यों में निम्नलिखित को कवर किया जाएगाः
- (क) पावर एक्सचेंज की सदस्यता, अपवर्जन, निलंबन और सदस्यों के निष्कासन के लिए अहर्कता
- (ख) जोखिम प्रबंधन
- (ग) पारेषण कारिडोरों में संकुलता के संचालन के लिए बाजार विघटन सहित कीमत प्रकटीकरण मिलान तंत्र उस समय तक जब तक इस प्रकार के उत्तरदायित्वों को आयोग द्वारा यथा अधिसूचित डे अहेड कांट्रेक्ट्रों या वास्तविक समय कांट्रेक्ट या किसी अन्य कांट्रेक्ट के संबंध में बाजार कपलिंग आपरेटर को स्थानांतरित किया जाता है।
- (घ) चूक(विद्युत की डिलीवरी या भुगतान या दोनों) की रिपोर्टिंग और जुर्माना तंत्र
- (ङ) संविदा के विचलन के लिए जुर्माना
- (च) संव्यवहार फीस
- (छ) व्यापार सदस्य के लिए व्यापार मार्जिन और फेसिलिटेर सदस्य के लिए सेवा प्रभार
- (ज) क्लीयरिंग एवं व्यवस्थापन क्रियाविधि
- (झ) इसके सदस्यों के अधिकार और देयताएं
- (ञ) व्यापार और समायोजन कैलेंडर प्रकाशित करने के लिए टाईम लाईन
- (ट) संव्यवहार टाइमलाईन
- (ठ) भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इसके अनुसूचीकरण तक प्लेटफार्म को खोलने की क्रियाविधि
- (ड) बाजार निगरानी और जांच
- (ढ) संचालन चूक के लिए क्रियाविधि
- (ण) विवाद समाधान तंत्र
- (त) रिकार्ड एवं लेखों का रखरखाव
- (थ) वार्षिक लेखा और उसके लेखा परीक्षित को तैयार करना
- (द) शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र
- (ध) निकासी योजना
- (न) पावर एक्सचेंज द्वारा केन्द्र पारेषण यूटिलिटी, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रऔर राज्य भार प्रेषण केन्द्रों की क्षतिपूर्ति
- (2) उप नियम, नियमावली और कारबार नियमावली में कोई संशोधन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा

बशर्ते यह कि आयोग अगले आदेश के मामले में उप नियम नियमावली और कारबार नियम के कुछेक उपबंधों के संशोधन के लिए पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा छोड़ सकता है।

बशर्तें यह कि इस प्रकार का संशोधनों को पावर एक्सचेंजों के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये जाने के अपेक्षा होगी।

20. पावर एक्सचेंजों का प्रबंधन

पावर एक्सचेंजों के वरिष्ठ प्रबंधन में निम्नलिखित क्षेत्रों में अहर्कताओं और अनुभव रखने वाले कम से कम 3 पूर्णकालिक व्यावसायिक शामिल होंगे

अध्ययन का विषय	अहर्कता और अनुभव
विदयुत प्रणाली प्रचालन	क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते हुए इंजीनियरिंग में डिग्री
वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और लेखा	क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते हुए अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री/सीए/आईसीडब्ल्यूए/एमबीए(वित्त) में डिग्री
सूचना तकनीक प्रोद्योगिकी	क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते हुए कंप्यूटर सांइंस/ कंप्यूटर एप्लिकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री

21. पावर एक्सचेंज में सदस्यता

(1) पावर एक्सचेंज की सदस्यता में निम्नलिखित 3 श्रेणियां होंगीः

(क) व्यापार सदस्यःऐसा कोई व्यक्ति जिसे व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2020 के अधीन विद्युत में व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी है और जिसे पावर एक्सचेंज के सदस्य के रूप में स्वीकृत किया गया है उसे व्यापार सदस्य माना जाएगा। व्यापार सदस्य अपने स्वयं के खाते पर व्यापार और क्लीयर करेगा या अपने ग्राहक की ओर से व्यापार और क्लीयर करेगा।

बशर्तें यह कि व्यापार सदस्य या इसके कोई एसोसिएट फेसिलिटेटर सदस्य नहीं होगा।

- (ख) सांपत्तिक सदस्यः ऐसा कोई व्यक्ति जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी या डीम्ड वितरण अनुज्ञप्तिधारी है या ग्रिड संबद्ध इकाई है और पावर एक्सचेंज के सदस्य के रूप में स्वीकृत है उसे सांपत्तिक सदस्य माना जाएगा। सांपत्तिक सदस्य अपने खाते के माध्यम से उसका संव्यवहार और क्लीयर करेगा।
- (ग) फेसिलिटेटर सदस्यः ऐसा कोई व्यक्ति जो न तो व्यापार सदस्य है और न ही सांपत्तिक सदस्य है और पावर एक्सचेंज में संव्यवहारों को सरल बनाने के लिए इसके ग्राहकों को निम्नलिखित में से एक या अधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए पावर एक्सचेंज के सदस्य के रूप में स्वीकृत किया गया हो। उसे फेसिलिटेटर नहीं माना जाएगा।
 - (i) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्लेटफार्म या कुशल कर्मिक के संबंध में बोली के लिए आईडी अवसंरचना
 - (ii) विद्युत की डिलीवरी के लिए क्लीयरेंस की सुविधा बशर्तें यह कि फेसिलिटेटर सदस्य अपने ग्राहकों को कोई ऋण या वित्त पोषण या कार्यशील पूंजी की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाएगा।

22. पावर एक्सचेंज के सदस्यों के बारे में रिपोर्टिंग

- (1) पावर एक्सचेंज इन विनियमों में फार्मेंट(फार्म XVI) के अनुसार सदस्यों के ब्यौरे आयोग को प्रस्तुत करेगा।
- (2) यदि इन विनियमों के उल्लंघन में सदस्य के संव्यवहारों में कोई विसंगति पायी जाती है तो आयोग मामले पर पावर एक्सचेंज के सदस्य को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, इस प्रकार के सदस्य की सदस्यता की बहाली के प्रतिसंहरण को निर्देश दे सकता है। इस प्रकार का कोई निर्देश इन विनियमों के अधीन पावर एक्सचेंज के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगा।
- (3) आयोग क्रमिक संचालन इलेक्ट्रिक व्यापार टर्मिनल और विद्युत में व्यापार के लिए अहर्कता परीक्षण आरंभ करने के लिए पावर एक्सचेंज को निर्देश दे सकता है।
- (4) पावर एक्सचेंज निवल मालीयत के न्यूनतम आधार पूंजी, प्रतिभूति जमा आवश्यकता, और तुलन आस्ति आवश्यकता सहित पावर एक्सचेंज की सदस्यता के लिए मानदंड निर्धारित करेगा।
- (5) पावर एक्सचेंज, अपने द्वारा किसी विनिर्दिष्ट मानदंड के साथ अनुपालन का प्रमाण देने वाले दस्तावेजों सहित सदस्यता प्राप्त करने के लिए सदस्यों द्वारा प्रदान किये गये सहायक दस्तावेजों का रखरखाव

करेगा। और आवश्यकता पड़ने पर आयोग को प्रस्तुत करेगा। ये दस्तावेज, सदस्य द्वारा सदस्यता के समर्पण या पावर एक्सचेंज पर उसके सदस्य न होने के पांच वर्षों की अवधि तक रखे जाएंगे।

23. पावर एक्सचेंज संव्यवहार फीस

कोई भी पावर एक्सचेंज इन विनियमों के विनियम (5) के खंड (1) से (3) के अधीन कवर किये गये संव्यवहारों के लिए किसी भी पार्टी से 2 पैसे/किलोवाट घंटे से अधिक की संव्यवहार फीस प्रभारित नहीं करेगा

बशर्तें यह कि संव्यवहार फीस में अनुसूचित ऊर्जा, निर्बाध पहुंच(पारेषण प्रभार, प्रचालन प्रभार और आवेदन फीस) और पारेषण हानियां शामिल नहीं होंगे। या

बशर्तें यह कि पावर एक्सचेजों से इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख से छह मास की अवधि या पावर एक्सचेंज पर पंजीकरण की तारीख से छह मास, जो भी बाद में हो, के भीतर संविदा के प्रकारों, या संव्यवहार की मात्रा या संव्यवहार की अवधि या पावर एक्सचेंजो द्वारा यथा प्रस्तावित ऐसे किसी अन्य कारक(कारको) पर आधारित पावर एक्सचेंजों द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

24. व्यापार मार्जिन और सेवा प्रभार

- (1) व्यापार सदस्य पावर एक्सचेंज पर व्यापार सदस्यों के माध्यम से किये गये सभी संव्यवहारों के संबंध में व्यापार अनुज्ञप्ति विनियमों 2020 के उपबंधों के अनुसार व्यापार मार्जिन प्रभारित करेंगे।
- (2) फेसिलिटेटर सदस्य पावर एक्सचेंज के संव्यवहारों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी अधिनस्थ सेवा प्रदायक के लिए सेवा प्रभार सहित 2पैसे/किलोवाट घंटे से अधिक का सेवा प्रभार प्रभारित नहीं करेगा।

बशर्तें यह कि सेवा प्रभार में पावर एक्सचेंज द्वारा उद्ग्रहीत कोई प्रभार, निर्बाध पहुंच के लिए पारेषण प्रभार, राष्ट्रीय भार प्रेषण केद्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा सांवधिक कर या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देय प्रभार शामिल नहीं होंगे।

25. आयोग द्वारा संविदाओं का अनुमोदन या निलंबन

- (1) आयोग अपनी ओर से, या इस ओर से किये गये आवेदन पर इन विनियमों के विनिमय 4 के खंड (1) में यथाविनिर्दिष्ट नयी संविदाएं को शामिल करने के लिए किसी पावर एक्सचेंज को अनुमित दे सकता है।
 - बशर्तें यह कि उन संविदाओं के लिए किसी अनुमित की अपेक्षा नहीं होगी जो इन विनियमों की अधिसुचना की तारीख पर पावर एक्सचेंजों पर संव्यवहारित किये जा रहे हैं
 - बशर्तें यह और कि हिताधिकारियों और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के साथ परामर्श के विवरणों और पावर एक्सचेंजों के विचारों के साथ, आयोग को सूचित करते हुए स्टेक होल्डर तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र से परामर्श करने के बाद इन विनियमों के विनियम 4, 5 और 6 के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं के अनुरूप नयी प्रकार की बोली को आरंभ या मौजूदा बोली कर सकता है जिसकी सूचना स्टेक होल्डरों और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र से परामर्श करते हुए और पावर एक्सचेंज के विचारों के ब्यौरे सहित आयोग को सूचना देनी होगी।
- (2) इस विनियम के खंड के (1) के अधीन नयी संविदा को आरंभ करने के लिए अनुमित की मांग करते हुए कोई पावर एक्सचेंज निम्नलिखित को शामिल करते हुए संपूर्ण और विस्तृत संविदा विनिर्दिष्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा।
 - (i) संविदा के प्रकार
 - (ii) प्रस्तावित कीमत प्रकटीकरण और मिलान पद्यति
 - (iii) डिलीवरी आरंभ होने तक बोली सत्र की अवधि और बोली के आरंभ होने सहित टाइम लाइन

- (iv) डिलीवरी तंत्र और डिलीवरी अवधि अर्थात क्या डिलीवरी अंतःदिवस, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, मौसमी या वार्षिक उससे आगे के लिए है
- (v) मार्जनिंग एवं अंतिम कीमत व्यवस्थापन तंत्र को शामिल करते हुए जोखिम प्रबंधन तंत्र
- (3) आयोग आदेश द्वारा सुनवाई के अवसर देते हुए, संबंधित पावर एक्सचेंज को, आदेश में विनिर्दिष्ट अविध के लिए किसी संविदा के संव्यवहारों को निलंबित कर सकता है या पावर एक्सचेंज से किसी संविदा को वापस ले सकता है।

26. पावर एक्सचेंज द्वारा जोखिम प्रबंधन

- (1) पावर एक्सचेंज उत्तम पद्यति को अंगीकार करते हुए विवेकी जांच जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को विकसित एवं कार्यान्वित करेगा जो बाजार परिवर्तन जोखिम विवरणी पर आधारित गत्यात्मक होगी।
- (2) पावर एक्सचेंज बोर्डों के स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में जोखिम निर्धारण एवं प्रबंधन समिति होगी जो पावर एक्सचेंज द्वारा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के अनुपालन को मानिटर करेगी।
- (3) आरएएमसी प्रत्येक वर्ष जनवरी और फरवरी में छह महीने आधार पर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की समीक्षा भी करेगी। आरएएमसी की छमाही रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाएगी।
- (4) आरएएमसी की रिपोर्ट तथा उस पर निदेशक मंडल के निर्णय को आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा जो क्रमशः प्रत्येक मार्च के अंत के बाद और सितंबर के अंत से पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

27. क्लीयरिंग और व्यवस्थापन

(1) पावर एक्सचेंज भुगतान एवं व्यवस्थापन प्रणाली अधिनियम 2007 के उपबंधों के अनुसार पावर एक्सचेंजों पर किये गये विद्युत के किसी संव्यवहार की क्लीयरिंग एवं व्यवस्थापन को कार्यान्वित करेगा।

बशर्तें यह कि पावर एक्सचेंज से, जिन्हें इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पूर्व आयोग द्वारा रिजस्ट्रेशन प्रदान किया गया है इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से 1वर्ष की अविधि के अंदर या इसके बाद अन्य अविधि जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, भुगतान एवं व्यवस्थापन प्रणाली अधिनियम 2007 के उपबंध के अनुसार पावर एक्सचेंज पर किये गये विद्युत के किसी संव्यवहार की क्लीयरिंग एवं व्यवस्थापन को कार्यान्वित करना अपेक्षित है।

बशर्तें यह और कि उस समय तक जब तक पावर एक्सचेंजों को उपर्युक्त परंतुक के संदर्भ में क्लीयरिंग और व्यवस्थापन करते हुए पावर एक्सचेंज निम्नलिखित का पालन करेंगे:

- (i) पावर एक्सचेंज में बोर्ड के स्वंतत्र निदेशक की अध्यक्षता में एसजीएफ प्रबंधन समिति और पावर एक्सचेंजों के सदस्यों से समुचित प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। यह समिति व्यवस्थापन गारंटी निधि के प्रबंधन के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी।
- (ii) पावर एक्सचेंज सुरक्षा निवेशों में व्यवस्थापन गारंटी निधि की प्राप्तियों का निवेश करेगा पर यह सुनिश्चित करेगा की मूल राशि पर कोई जोखिम नहीं है। व्यवस्थापन गांरटी निधि की प्राप्तियों का 50 प्रतिशत से कम, सुरक्षित तरल निवेशों में नहीं रखा जाएगा जिसमें अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, के साथ सावधि जमा, ट्रेजरी बिल और सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल है परंतु इस तक सीमित नहीं है।
- (iii) पावर एक्सचेंज वर्ष की अंतिम तारीख के 45 दिनों के अंदर वित्तीय वर्ष में निवेश किए गए आरंभिक प्रतिभूति जमा पर अर्जित रिटर्न कम से कम 70 प्रतिशत सदस्य के आरंभिक प्रतिभूति जमा और उस अवधि जिसके के लिए वह जमा पावर एक्सचेंज के साथ रखा गया था, के अनुपात में पावर एक्सचेंज के सदस्यों को वितरित करेगा।
- (iv) व्यवस्थापन गारंटी निधि के उपयोग की पद्यति एवं सिद्धांत सदस्यों और ग्राहकों को पावर एक्सचेंज के उप नियम, नियमावली और कारबार नियमावली के माध्यम से स्पष्ट रूप से संप्रषित किये जाएंगे।

- (v) व्यवस्थापन गांरटी निधि के निवेश के ब्यौरे पावर एक्सचेंज की वार्षिक रिपोर्ट सहित वार्षिक आधार पर आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (vi) सदस्यों की जोखिम लगातार मानिटर किया जाएगा और मार्जन मनी जोखिम प्रबंधन की प्रभावोत्पादकता के लिए उचित समय पर संग्रहित की जाएगी।
- (vii) सदस्य उस बाजार में उनके ग्राहकों की मार्जन अपेक्षाओं की आफ सेटिंग के बिना पावर एक्सचेंजों को ग्राहकों के सकल आधार पर मार्जन मनी अदा करेंगे।
- (viii) सदस्य, जहां भी लागू हो, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन करेंगे और अपने ग्राहकों से समय पर मार्जिन संग्रहण की प्रणाली रखेंगे। ग्राहकों से सदस्यों द्वारा संग्रह किया गया मार्जन पावर एक्सचेंज के उप नियमों, नियमावली एवं कारबार नियमावली के अनुसार होगा।
- (ix) सदस्यों या ग्राहकों को पावर एक्सचेंज द्वारा चूककर्ता के रूप में घोषित किया जा सकता है यदि सदस्य या ग्राहकः
 - (क) पावर एक्सचेंज या इसके ग्राहकों के लिए इसकी क्लीयरिंग या व्यवस्थापन बाध्यता को पूरा करने में असमर्थ है, या
 - (ख) पावर एक्सचेंज या इसके ग्राहक के लिए अपने कर्त्तव्यों, दायित्वों, और देयताओं के निवर्हण या पूरा करने में अपनी असमर्थता दर्शाता है, या
 - (ग) पावर एक्सचेंज के नियमावली उप नियम एवं कारबार नियम के अधीन उसके विरुद्ध प्रभावी क्लोजिंग आउट पर देय रकम के अंतर एवं हानियों को विनिर्दिष्ट समय के अंदर अदा करने में असफल रहता है या असमर्थ होता है: या
 - (घ) पावर एक्सचेंज को देय किसी रकम को अदा करने में असफल रहता है जिसे समय समय पर निर्धारित किया जाता है; या
 - (ङ) पावर एक्सचेंज की नियमावली उप नियम एवं कारबार नियमावली के अधीन निर्धारित मध्यस्थता अवार्ड को पूरा करने में असफल रहता है;या
 - (च) समय समय पर पावर एक्सचेंज द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है।
- (x) यदि सदस्य या ग्राहक चूक कर्त्ता घोषित होता है और सदस्य या ग्राहक क्लियरिंग या व्यवस्थापन बाध्यताओं की पूर्ति के लिए असफल रहता है, तो पावर एक्सचेंज सदस्य या ग्राहक जैसा भी मामला हो, के जमा से पारेषण प्रभारों के भुगतान और प्रणाली प्रचालक को देय प्रभारों के भुगतान को वरीयता देगा। उसके बाद पावर एक्सचेंज निम्नलिखित क्रम में चूककर्त्ता सदस्य या ग्राहक की बाध्यताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक सीमा तक व्यवस्थापन गारंटी निधि एवं अन्य रकमों का प्रयोग कर सकता है।
 - (क) संपार्श्विकों का परीसमापनः चूककर्ता सदस्य या ग्राहक के किसी रूप में मार्जिन सहित अंशदान या जमा राशियां।
 - (ख) प्रतिभूति जमा का परिसमापनः पावर एक्सचेंज को चूककर्ता सदस्य द्वारा दी गयी सदस्यता जमा।
 - (ग) बीमा धनः रकम पर पावर एक्सचेंजों द्वारा किया गया बीमा जैसे चूक के विरुद्ध संरक्षण के लिए पावर एक्सचेंजों द्वारा उचित समझा जाता है।
 - (घ) व्यवस्थापन गारंटी निधि के लिए पावर एक्सचेंज द्वारा आरंभिक अंशदान
 - (ड़) सदस्यों से वसूल किये गये जुर्मानों, दंडों सहित पावर एक्सचेंज का चालू वर्ष का लाभ;
 - (च) पावर एक्सचेंजों का प्रतिधारित उपार्जन
 - (छ) सभी सदस्यों या ग्राहकों द्वारा व्यवस्थापन गारंटी निधि के लिए अंशदानः व्यवस्थापन गारंटी निधि के लिए जमा के समानुपात में सभी गैर चूक कर्ता सदस्य या ग्राहकों का अंश दान।

(ज) उक्त निधियों के बाद बकाया शेष दायित्वों को व्यवस्थापन गांरटी निधि के लिए उनके अंशदान में समानुपात में सदस्यों या ग्राहकों से अंशदान द्वारा पूर्ति की जाएगी।

28. पावर एक्सचेंज की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और व्यापार प्रणाली

- (1) पावर एक्सचेंज इलेक्ट्रानिक व्यापार प्रणाली और दूरसंचार नेटवर्क का प्रयोग करेंगे;
- (2) पावर एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा प्रवृष्ट बोलियों की पावर एक्सचेंज की बोली बही में स्वीकृत किये जाने से पूर्व जोखिम प्रबंधन प्रणाली में संपार्श्विक या निधि के उपलब्धता के प्रति पहले जांच की जाएगी।
- (3) बोलियों के स्वचालित लेखापरीक्षक ट्रेल, बोलियों की मैंचिग और संव्यवहारों के निष्पादन का रखरखाव किया जाएगा।
- (4) कीमत प्रकटीकरण और बाजार विखंडन के लिए साफ्टवेयर एप्लीकेशन का एल्गारीधम यथा लागू विनिमय 5 में विनिर्दिष्ट आवश्यकता और पावर एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और कारबार नियमों में उल्लिखित पद्यति के अनुपालन में होगा। पावर एक्सचेंज परिचालन के आरंभ से पूर्व एल्गोरिधम की लेखा परीक्षा करवाएगा और उसके बाद प्रत्येक दो वर्ष में एक बार और आयोग को लेखा परीक्षा के अंश प्रस्तुत करेंगे। नियुक्त संसाधनों का एल्गोरिदम की लेखा परीक्षा परीक्षा परीक्षक और आईएफएसीए से सीआईएसए (प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक) जैसा संगत उपभोग प्रमाणन होगा या इल्कट्रानिक एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय मामलों के अधीन मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय के साथ के पास नामिकायन होगा।
- (5) आयोग रेंडम आधार पर कीमत प्रकटीकरण एवं बाजार विखंडन के लिए पावर एक्सचेंज द्वारा प्रयुक्त साफ्टवेयर एप्लीकेशन्स के लेखा परीक्षा के लिए किसी एजेंसी को नियुक्त कर सकता है या लेखा परीक्षा कर सकता है।
- (6) पावर एक्सचेंज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए डाटा सुरक्षा, डाटा निष्ठा एवं प्रचालनगत कार्यकुशलता के लिए आवधिक आईटी प्रणाली की लेखा परीक्षा करेगा और वित्तीय वर्ष के अंत के बाद 30 जून तक आयोग को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (7) पावर एक्सचेंज बोर्ड के अनुमोदन से साइबर अटैक एवं खतरे से प्रणाली, नेटवर्क और डाटाबेस के जोखिम के प्रबंधन के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर, रेजिलेंन का निर्माण और कार्यान्वयन करेगा।
- (8) पावर एक्सचेंज आपात स्थिति में सतत कारबार के लिए विकल्प कारबार सुविधा एवं आपात रिकवरी साइट की स्थापना और रखरखाव करेंगे।
- (9) पावर एक्सचेंज डे अहेड संविदाओं या वास्तिविक समय संविदाओं या आयोग द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य संविदाओं के संबंध में इस विनिमय के खंड (3) से (5) में उल्लिखित गतिविधियों के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। उस समय तक जब तक कि आयोग बाजार कपलिंग प्रचालक को इन उत्तरदायित्वों के अंतरण के लिए अधिसूचना जारी नहीं करता।

29. पावर एक्सचेंज पर संव्यवहारों से संबंधित विविध उपबंध

- (1) पावर एक्सचेंजों पर संव्यवहारों की अनुसूची से कोई विचलन समय-समय से यथा संशोधित केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबंधित मामले) विनिमय 2014 और उसके कोई पुनराधिनियमन के अनुसार व्यवस्थापित होंगे।
- (2) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के साथ पावर एक्सचेंज(एक्सचेंजों) द्वारा सभी डाटा का अंतरण सुरक्षित संचार चैनल के माध्यम के इलेक्ट्रानिक रूप से किया जाएगा।

भारत का राजपत्र : असाधारण

(3) पावर एक्सचेंज, आयोग एवं राज्य विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अनुसार भार प्रेषण केन्द्रों और राज्य पारेषण यूटिलिटी को पारेषण प्रभारों, अनुसूचीकरण और प्रणाली प्रचालन प्रभारों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) पावर एक्सचेंजों के द्वारा क्षतिपूर्ति

- (क) पावर एक्सचेंज इस आशय से राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र को क्षतिपूर्ति करेगा कि राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गयी क्लीयरेंस सलाह सद्भाव से है।
- (ख) पावर एक्सचेंज क्षतिपूर्ति करेगा कि कटौती के मामले में, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र और अंतिम अनुसूची की सलाह के बीज पूर्ण मिलान के लिए, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्रों और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्रों का अयोग्यता के कारण कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगी, चाहे कोई भी कारण हो।
- (ग) अपनी ओर से और अपने क्रेताओं और विक्रेताओं की ओर से पावर एक्सचेंज सदैव राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों और राज्य भार प्रेषण केन्द्रों की क्षतिपूर्ति करेगा और किसी व्यक्ति की क्षति या मृत्यु या संपति का नुकसान, मांग पूर्ति, वाद, वसूली, लागतों एवं व्यय, न्यायालय लागतों, एटार्नी फीस तथा तीसरी पार्टी को या उसके द्वारा अन्य सभी बाध्यताओं तथा संव्यवहारों के उद्भूत किसी या उत्पन्न अन्य दायित्वों सहित किसी और सभी क्षतियों, हानियों, दावों और गतिविधियों से बचाएगा और क्षतिरहित रखेगा।

30. संकुलता परिमाण प्रबंधन

- (1) पावर एक्सचेंजों के पास बाजार विखंडन के परिणामतः विभिन्न प्रदेशों का बाजार कीमतों में अंतर से उत्पन्न संकुलता परिमाण निहित है।
- (2) पावर एक्सचेंजों द्वारा संकुलता परिमाण अलग लेखों में रखी जाएगी जिसे समय समय से यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम 2019 या उसके किसी पुनराविनियमन में यथाविनिर्दिष्ट ढंग से विद्युत प्रणाली विकास निधि में अंतरित किया जाएगा। या उस ढंग से प्रयुक्त किया जाएगा जिसे आयोग द्वारा निर्णीत किया जाता है।

31. पावर एक्सचेंज द्वारा सूचना प्रसार

- (1) पावर एक्सचेंज सभी संगत वेबसाइटों को अपनी वेबसाइट लिंक पर प्रस्तुत करेंगे।
- (2) व्यापार की गई विद्युत की कीमत मात्रा, और एतिहासिक कीमते पावर एक्सेचंजों की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी और डाउनलोड करने योग्य फार्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा डाटा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से उपलब्ध होगा।
- (3) माह के लिए व्यापार की गयी कीमतों का अधिकतम, न्यूनतम और औसत तथा पावर एक्सचेंज पर संव्यवहारित सभी प्रकार के संविदाओं के लिए क्लीयर की गयी औसत मात्रा इसके वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- (4) पावर एक्सचेंज प्रत्येक प्रकार की संविदा के लिए कुल मांग एवं आपूर्ति वक्रों सहित डाटा टेबल को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे।
- (5) पावर एक्सचेंज इन विनियमों के परिशिष्ट फार्मेट (फार्म 1 से 14) में मासिक आधार पर सभी संव्यवहारों के ब्यौरे आयोग को उपलब्ध करवाएगा। बशर्ते यह कि आयोग आदेश से समय समय से फामेर्ट को संशोधित या प्रस्तुत कर सकता है।
- (6) पावर एक्सचेंज जब कभी भी आयोग द्वारा निर्देश दिया जाए अपेक्षित विश्लेषण सहित सभी सहभागियों की बोलियों को आयोग को प्रस्तुत करेगा।
- (7) पावर एक्सेचेंज पूरे देश में, नियमित आधार पर, सदस्यों या ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा।

(8) पावर एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पर दस्तावेजों का सृजन और रखरखाव करेगा। जिसमें सभी प्रकार की संविदाओं के लिए कीमत प्रकटीकरण के लिए प्रयुक्त एल्गोरिदम के विस्तृत विवरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस विवरण में सभी प्रकार की बोलियों, विवरण कि विभिन्न प्रकार की बोलियों और पारेषण कोरिडोर में संकुलन को ध्यान में रखने के बाद किस प्रकार एल्गोरिधम आर्थिक अधिशेष के अधिकतम में परिणामित होती है जो कीमत प्रकटीकरण एल्गारिदम के प्रत्येक नये संस्करण के साथ अद्यतन होगा। बशर्तें यह कि पावर एक्सचेंज जिन्हें इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख के पूर्व आयोग द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 महीने की अविध के अंदर अपनी वेबसाइट पर इस दस्तावेज को प्रकाशित करेंगे।

32. पावर एक्सचेंज द्वारा बाजार निगरानी

- (1) पावर एक्सचेंज निगरानी विभाग स्थापित करेंगे जो संव्यवहारों की दैनिक मानिटर और निगरानी करेंगे और इस विनियम के खंड (5) में यथा उल्लिखित विश्लेषण करेंगे।
- (2) पावर एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजार निगरानी प्राधिकृत कार्मिक द्वारा भौतिक रूप से सुरक्षित और नियंत्रित क्षेत्र से की गयी है। इस प्रकार के कार्मिकों की सूचना, डाटा सुरक्षा एवं वार्तालाप की आडियो रिकाडिंग दो वर्ष के लिए पावर एक्सचेंज द्वारा रखी जाएगी और निर्देश दिये जाने पर आयोग को उपलब्थ करवाया जाएगा।
- (3) पावर एक्सचेंज, बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बाजार निगरानी समिति गठित करेगा जिसमें पावर एक्सचेंज की कार्यकारी टीम से सदस्य भी होंगे। इस समिति का कोई सदस्य पावर एक्सचेंज का सदस्य नहीं होगा।
- (4) निगरानी विभाग सहभागियों की बोली पद्यति और संव्यवहारों को विश्लेषित करेगा और बाजार निगरानी समिति को अपने विश्लेषण और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (5) बाजार निगरानी समिति प्रत्येक तिमाही के अंत के बाद 30 दिन के अंदर आयोग को तिमाही निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और निम्नलिखित को शामिल करेगा परंतु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं होगाः
 - (क) विनिर्दिष्ट समय अवधि में पावर एक्सचेंज के सदस्यों की संव्यवहार पद्यति
 - (ख) कीमतों की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अस्थिरता विश्लेषण
 - (ग) क्रेता और विक्रता का कीमत प्रवर्तन विश्लेषण
 - (घ) बाजार सहभागियों द्वारा डोमिनेंट स्थिति
 - (ङ) सर्कुलर व्यापार की मानिटरिंग
 - (च) पावर एक्सचेंज के सदस्यों की आकस्मिक उच्च संव्यवहार मात्राओं का विश्लेषण
 - (छ) पावर एक्सचेंज के किसी सदस्य द्वारा चूक का विश्लेषण
 - (ज) संव्यवहारों का विश्लेषण यह जांचने के लिए कि क्या आयोग द्वारा यथा अनुमोदित बाजार विखंडन का पारेषण कारिडोर में संकुलता के मामले में अनुपालन किया जा रहा है।
 - (झ) दैनिक संव्यवहारों में बाजार संकेद्रण का विश्लेषण; और
 - (অ) मार्जनल क्रेताओं और विक्रेताओं का विश्लेषण, जिनकी मात्रा मार्जिन में क्लीयर थी।
- 33. पावर एक्सचेंज आयोग को प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक लेखा परीक्षित तुलन पत्र के साथ इसकी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

34. निकास योजना

पावर एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन के समय पर आयोग द्वारा पावर एक्सचेंज के बंद होने या पावर एक्सचेंज के प्रतिसंहरण होने की दशा में अपनी निकासी योजना अनुमोदित करवाएंगे। निकासी योजना में निम्नलिखित ढंग को उपलब्ध करवाया जाएगाः

- (1) पावर एक्सचेंज पर चालू संविदाएं बंद हो जाएंगे, या सभी संव्यवहारित संविदाओं के लिए उत्तरवर्ती योजना होगी; और
- (2) आकस्मिक प्रकृति के लंबित माध्यस्थम मामलों, माध्यस्थम अवार्ड, देयताओं या दावों और पावर एक्सचेंज के पास अनिर्णीत निवेशक शिकायतों या परिवादों का निपटान पावर एक्सचेंज द्वारा किया जाएगा।

35. पावर एक्सचेंज के रजिस्ट्रेशन का प्रतिसंग्रहण

- (1) आयोग सुनवाई के अवसर पावर एक्सचेंजों को देने के बाद और लिखित में रिकार्ड करने के कारणों सहित निम्नलिखित किसी भी स्थिति में पावर एक्सचेंजों को प्रदान किये गये रजिस्ट्रेशन का प्रतिसंग्रहण कर सकता है।
 - (क) यदि पावर एक्सचेंज की कार्य प्रणाली से इन विनियमों के किसी निबंधन या पंजीकरण की शर्तों का उल्लघंन होता है।
 - (ख) यदि पावर एक्सचेंज की शेयर होल्डिंग से इन विनिमयों की निबंधन एवं शर्तों का उल्लघंन होता है।
 - (ग) यदि पावर एक्सचेंज बाजार जोड़-तोड़ या इंसाइडर व्यापार में लिप्त होता है।
 - (घ) यदि पावर एक्सचेंज की निवल मालीयत यथा उपबंधित किसी भी समय इन विनियमों के विनियम 14 में यथा उपबंधित विनिर्दिष्ट रकम से नीचे होती है।
 - (इ) यदि पावर एक्सचेंज आयोग के किसी निर्देश के अनुपालन करने में असफल रहता है।
 - (च) यदि पावर एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन के प्रतिसंग्रहण के लिए आवेदन करता है।
- (2) पावर एक्सचेंज के रजिस्ट्रेशन के प्रतिसंग्रहण के होते हुए भी, इस प्रकार के प्रतिसंग्रहण के पूर्व निष्पादित संविदाएं वैध बनी रहेंगी और उनका प्रदर्शन निकासी योजना के माध्यम से पावर एक्सचेंज द्वारा या आयोग द्वारा यथा निर्देशित सुनिश्चित किया जाएगा।

36. सदस्यों तथा ग्राहकों की शिकायत निवारण

- (1) पावर एक्सचेंज स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में शिकायत निवारण फोरम का गठन करेगा।
- (2) पावर एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पर पावर एक्सचेंज के विरूद्ध सदस्यों द्वारा दायर और इसके सदस्यों के विरुद्ध ग्राहकों द्वारा शिकायतों के ब्यौरे और शिकायत के निवारण की स्थिति प्रदर्शित करेगा।
- (3) पावर एक्सचेंज अपनाए गए संघर्ष निवारण तंत्र और शिकायत निवारण का निष्कर्ष भी प्रदर्शित करेगा।
- (4) आयोग पावर एक्सचेंज द्वारा किसी विनिर्दिष्ट शिकायतों के निवारण पर सूचना का वहन करेगा।

भाग - 5

मार्केट कपलिंग

37. बाजार कंपलिंग के उद्देश्य

- (1) डे अहेड मार्केंट या वास्तविक समय मार्केट या आयोग द्वारा यथाअधिसूचित कोई अन्य मार्केंट के लिए एक समान मार्केट क्लीयरिंग कीमत की प्रकटीकरण
- (2) पारेषण अवसंरचना का अधितमक उपयोग

(3) सभी प्रकार की बोलियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक अधिशेष का अधिकतमीकरण और उसके द्वारा क्रेता विक्रेता अधिशेष का समसामयिक सुजन

38. बाजार कप्लिंग आपरेटर का पद

इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, आयोग बाजार कप्लिंग आपरेटर को नामित करेगा जो बाजार कप्लिंग के प्रचालन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।

39. इन विनिमयों में बाजार कपलिंग और बाजार कपलिंग प्रचालक के संबंध में उपबंध तब प्रभावी होंगे जब भी पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किये जाने वाले विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

भाग-6

ओटीसी प्लेटफार्म

- 40. ओटीसी प्लेटफार्म इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने पर प्रचालन करेगा।
- 41. ओटीसी प्लेटफार्म के उद्देश्य निम्नानुसार होंगेः
 - (1) विद्युत के संभावित क्रेताओं और विक्रेताओं की सूचना सहित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म उपलब्ध करना;
 - (2) क्रेताओं और विक्रेताओं संबंधित डाटा का रेपोजेटरी का रखरखाव करना और बाजार सहभागियों को इस प्रकार के एतिहासिक डाटा उबलब्ध करवाना;
 - (3) बाजार सहभागियों को अग्रिम डाटा विश्लेषण टूल के रूप में इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाना।

42. ओटीसी प्लेटफार्म पर सहभागिताः

ओटीसी प्लेटफार्म सहभागिता के लिए निम्नलिखित पात्र होंगेः

- (1) उत्पादन कंपनियां, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, निर्बाध पहुंच ग्राहक या उनके ओर से कार्य कर रहे कोई व्यक्ति जैसी ग्रिड से जुड़ी इकाइयों और
- (2) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी

43. ओटीसी प्लेटफार्म के रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता मानदंड

- (1) ओटीसी प्लेटफार्म के रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार होंगेः
 - (क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कोई कंपनी
 - (ख) आवेदक की न्यूनतम निवल मालियत रजिस्ट्रेशन प्रदान करने के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख के तत्काल पूर्व 30 दिन के अंदर किसी तारीख को 1 करोड़ रुपये होगी।
- (2) पावर एक्सचेंज या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी या उनके कोई सहयोगी या ग्रिड संबंधी इकाई को ओटीसी प्लेटफार्म में स्थापन, प्रचालन या कोई शेयर होल्डिंग रखने की अनुमित नहीं होगी।

44. आवेदन दाखिल करने और रजिस्ट्रेशन प्रदान करने की क्रियाविधि

- (1) ओटीसी प्लेटफार्म में की स्थापना और प्रचालन आवेदन दाखिल करने, जैसी भी अधिसूचित किया जाए, के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोग की बेवसाइट पर आनलाइन दाखिल किया जाएगा।
- (2) आयोग प्रस्ताव पर विचार करने के बाद और इस प्रकार की जांच करने के बाद, जैसी भी आवश्यक समझा जाए आवेदक को रजिस्ट्रेशन प्रदान कर सकता है या रद्द कर सकता है।

(3) ओटीसी प्लेटफार्म की रजिस्ट्रेशन प्रदान करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा जब तक कि इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन पूर्व में प्रतिसंदत या रद्द न किये जाए।

25

- (4) आयोग ओटीसी प्लेटफार्म द्वारा दाखिल दाखिल आवेदन पर और इस प्रकार की जांच करने के बाद जैसा भी आवश्यक समझी जाए, 5 वर्षों के आगे की अविध के लिए रिजस्ट्रेशन का नवीकरण कर सकता है।
- (5) कोई कंपनी जिसे इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा ओटीसी प्लेटफार्म के प्रचालन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है फीस का भुगतान विनिमयों में विनिर्दिष्ट समय और ढंग के अनुसार वार्षिक रजिस्ट्रेशन प्रभार अदा करेगा।

45. आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज

- (1) आवेदन करने वाली कंपनी का संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद
- (2) आवदेक की निवल मालीयल को दशार्तें हुए रजिस्ट्रेशन प्रदान करने के लिए आवेदन को दाखिल करने की तारीख से तत्काल पूर्व 30 दिनों के अंदर आने वाली किसी तारीख को लेखा परीक्षित विशेष तुलन पत्र।
- (3) आवेदन करने वाली कंपनी के पूर्व वर्षों के लिए स्थाई खाता संख्या, कर कटौती एवं वसूली खाता संख्या और आयकर रिटर्न की प्रतियों।

46. ओटीसी प्लेटफार्म की बाध्यताएओं

- (1) ओटीसी प्लेटफार्म, संविदाओं के परक्रामण, निष्पादन, क्लीयरेंस या व्यवस्थापन में शामिल नहीं होगा।
- (2) ओटीसी प्लेटफार्म किसी भी ढंग से बाजार सहभागियों के निर्णय को प्रभावित किये बिना तटस्थता बनाए रखेगा

47. रजिस्ट्रेशन का प्रतिसंहरण

आयोग, लिखित में रिकार्ड किये जाने वाले कारणों और ओटीसी प्लेटफार्म को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ओटीसी प्लेटफार्म को दी गयी रिजस्ट्रेशन का प्रतिसंहरण कर सकता है, यदि ओटीसी प्लेटफार्म रिजस्ट्रेशन को निबंधन व शर्तों या आयोग के किसी निर्देश का अनपालन करने में असफल रहता है।

भाग 7

बाजार पर्यवेक्षण

48. बाजार पर्यवेक्षण के उद्देश्य

- (क) बाजार जोड़ तोड़, इन्साइडर व्यापार, कार्टिलाइजेशन और किसी बाजार सहभागी द्वारा प्रभावी पद के दुरुपयोग का पता लगाना और रोकना
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि बाजार सहभागियों का पावर बाजारों की निष्पक्षता में विश्वास है
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि कीमतें पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से खोजी गई है।

49. बाजार पर्यवेक्षण के लिए क्रियाविधि

- (1) बाजार पर्यवेक्षण में निम्नलिखित सम्मिलित लेकिन सीमित नहीं होंगे।
 - (क) बाजार सहभागियों के रजिस्ट्रेशन के लिए क्रियाविधि
 - (ख) बाजार सहभागियों से डाटा संग्रहण के लिए तंत्र

- (ग) बाजार सहभागियों या किसी अन्य इकाइयों के ब्यौरे जो सूचना प्रस्तुत करेंगे
- (घ) उक्त खंड (ग) में विनिर्दिष्ट इकाइयों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाली सूचना के ब्यौरे
- (ङ) सूचना की रिपोर्टिंग के लिए आवधिकता और फार्मेट
- (च) बाजार सहभागियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के दुरुपयोग या अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए उपाय
- (छ) बाजार सहभागियों द्वारा प्रस्तुत डाटा पर आधारित विश्लेषण एवं बाजार निगरानी आयोजित करना।
- (ज) अन्य सूचना जो आयोग द्वारा अपेक्षित हो
- (2) आयोग संतुष्ट होने पर, कि निम्नलिखित कोई परिस्थितियां अस्तित्व में है तो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच या अन्वेषण का आदेश दे सकता है।
 - (क) बाजार सहभागियों द्वारा सांविधिक बाध्यता का गैर अनुपालन
 - (i) इन विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन या गैर अनुपालन
 - (ii) इन विनियमों के उल्लंघन के लिए जारी किये गये आयोग के आदेशों का गैर अनुपालन
 - (iii) आयोग द्वारा मांगी गयी कोई अन्य सूचना या इस विनियम के खंड(1) के उप-खंड (घ) के अधीन मांगी गयी सूचना में विलंब या प्रस्तुत न करना।
 - (ख) निम्नलिखित को शामिल करते हुए लेकिन सीमित नहीं, किसी गतिविधि में बाजार सहभागियों का शामिल होना
 - (i) बाजार जोड़ तोड़
 - (ii) कर्टिलाइजेशन का कोई रूप
 - (iii) इन्साडर व्यापार
 - (iv) बाजार सहभागियों द्वारा प्रभावी पद का दुरुपयोग

50. आयोग द्वारा हस्तक्षेप

इन विनियमों के विनियम 50 के खंड(2) के अधीन किसी सूचना या रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग, संबंधित बाजार सहभागी को रिपोर्ट के संबंध में प्रस्तुति देने जैसा अवसर देने के बाद और अभिवेदन पर विचार करने के बाद यदि उसने किया गया है, निम्नलिखित आदेश दे सकता है।

- (क) संबंधित बाजार सहभागी से रिपोर्ट से उत्पन्न किसी मामले के संबंध में ऐसी कार्रवाई करने की अपेक्षा कर सकत है जैसी आयोग द्वारा ठीक समझी जाए; या
- (ख) अधिनियम के उपबंध के अनुसार दंड लगा सकता है; या
- (ग) संबंधित बाजार सहभागी को उस अवधि के लिए जिसे आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए इन विनियमों के विनियम 4 में उल्लिखित किसी कांट्रेक्ट में सहभागिता से विवर्जित कर सकता है;
- (घ) पावर एक्सचेंज को सदस्य की सदस्यता रद्द करने के लिए निदेश दे सकता है; या
- (ङ) इन विनियमों के अधीन पावर एक्सचेंज के रजिस्ट्रेशन को निलंबित या रद्द कर सकता है। या
- (च) इन विनियमों के अधीन ओटीसी प्लेटफार्म के रजिस्ट्रेशन को निलंबित या रद्द कर सकता है।

51. हस्तक्षेप के लिए अपेक्षित अन्य परिस्थितियां

- (1) आयोग सतुंष्ट होने के बाद कि पावर एक्सचेंज में विद्युत की कीमत या मात्रा में असामान्य वृद्धि या कमी की स्थिति मौजूद है या बाजार में उत्पन्न हो सकती है तो आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकता है जैसे भी आवश्यक समझा जाएं।
- (2) इस विनियम के खंड(1) के अधीन, विशेष रूप से और शक्ति की व्यापकता के पक्षपात के बिना आयोग लिखित में आदेश दे सकता है:
 - (क) पावर एक्सचेंज में विद्युत की कीमतें पर फ्लोर एवं कैप लगाना;
 - (ख) बढ़ी हुई अस्थिरता के मामले में कूलिंग आफ अवधि के लिए पावर एक्सचेंज पर संव्यवहार गतिविधियों को निलंबित करना;
 - (ग) पावर एक्सचेंज पर किसी विनिर्दिष्ट संविदा के संव्यवहार को निलंबित करना;
 - (घ) पावर एक्सचेंज द्वारा प्रभारित संव्यवहार फीस को विनियमित करना।

52. अंतरिम आदेश जारी करने की शक्तिः

जहां अन्वेषण या हस्तक्षेप के दौरान, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि इन विनियमों का उल्लंघन किया गया है, या उल्लंघन लगातार किया जा रहा है या ऐसे कार्य के किये जाने की संभावना है तो आयोग आदेश द्वारा किसी पक्षकार को अस्थायी रूप से ऐसे कार्य को करने से तब तक रोक सकेगा, जब तक की ऐसे पक्षकार को कोई सूचना दिये बिना, ऐसा अन्वेषण या हस्तक्षेप पूरा नहीं हो जाता है या अगले आदेश तक जहां ऐसा करना आवश्यक समझे।

53. निरीक्षण की शक्ति:

- (1) आयोग, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने अधिकारियों के माध्यम से या किसी तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से, किसी पावर एक्सचेंजों का निरीक्षण, जांच का आयोजन या लेखापरीक्षा किसी भी समय कर सकता है।
- (2) जहां आयोग द्वारा इस विनियम के खंड (1) के अधीन निरीक्षण किया जाता है, ऐसा पावर एक्सचेंज और ऐसे पावर एक्सचेंजों का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, अधिकारी और कोई अन्य कर्मचारी ऐसे निरीक्षण, जांच या लेखापरीक्षा मे सहयोग करेगा।

भाग 8

विविध

54. आयोग की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति

- (i) इन विनियमों की कोई बात न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आयोग की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए ऐसे आदेश, जो आवश्यक समझें जाएं, करने की आयोग की अंतनिर्हित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी।
- (ii) इन विनियमों की कोई बात, अधिनियम के उपबंधों के अनुरुप, ऐसी प्रक्रिया, जो इन प्रक्रिया के किन्हीं भी उपबंधों के फेरफार से हुई हो जिसमें प्रक्रिया सारांश भी है, को स्वीकार करने से आयोग को वर्जित नहीं करेगी यदि आयोग, मामले या मामले के वर्ग की विशेष परिस्थितियों की की दृष्टि से तथा लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के लिए ऐसे मामले या मामलों के वर्ग से इस प्रकार निपटने के लिए आवश्यक या समीचीन समझें।

(iii) इन विनियमों की कोई बात आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले से निपटने या किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग, जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं, करने से नहीं रोकेगी तथा आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों तथा कृत्यों से ऐसी रीति से निपटेगा जैसे वह आवश्यक समझे।

55. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियम के किसी भी उपबंध को प्रभावी करने से कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग, आदेश द्वारा, अधिनियम के उपबंधों के असंगत ऐसे उपबंध बना सकेगा जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समझे जाएं।

56. शिथिल करने की शक्ति

आयोग, समुचित मामलों में और लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले करणों के लिए, इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा।

57. निरसन और व्यावृत्तियां

- (1) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर बाजार) विनियम, 2010 और उसके सभी परवर्ती संशोधन इन विनियमों के आरंभ की तारीख से निरसित होंगे।
- (2) ऐसे निरसन में किसी बात से होते हुए भीः
 - (क) निरिसत विनियमों के अधीन की गयी कोई बात या की गयी कोई कार्रवाई या किये गये से तात्पर्य होना, या प्रदान किया गया कोई पंजीकरण या अनुमित या निष्पादित कोई दस्तावोज या लिखित या दिया गया की निर्देश, जब तक इन विनियमों के उपबंधों के साथ असंगत नहीं है, इन विनियमों के संबंधित उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा।
 - (ख) निरिसत विनियमों के अनुसरण में जारी कोई आदेश, या निर्देश या प्रदान किया गया अनुमोदन, या की गयी कोई नियुक्ति, यिद इन विनियमों के आरंभ होने पर प्रभाव में हे उनका प्रभाव में होना जारी रहेगा, और ऐसा प्रभाव रहेगा जैसा कि इन विनियमों के अनुसरण में या अधीन किये, निर्देशित या जारी किए गए हैं, जब तक अन्यथा विशेष रूप से इन विनियमों के अधीन आवश्यक न हो।

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./105/2021-22]

फार्म I

पावर एक्सचेंज (दिवस वार) के माध्यम से डे अहेड मार्केट में व्यापार की गयी विद्युत की कीमत और मात्रा

पावर एक्सचेंज का नामः

माह:

- 11	त्र.सं. डिलीवरी		क्रय बोली की संख्या	एमयू में	15 मिन्ट	विक्रय	एमयू में	एमयू में	एमयू में बाजार	अनियं	त्रेत एमसीपी		बाजार	क्लियरिंग कीमत(एमः	सीपी)
क्र.स.	डिलीवरी की तारीख	बोलियों की	की सख्या	कुल क्रयबोली	ब्लाक में विक्रय बोलियों की	बोली की संख्या	कुल विक्रय बोली	एमयू में अनियंत्रित एमसीवी	क्लियरिंग मात्रा	न्यूनतम रु/ किलोवाट	अधिकतम	भारित औसत रु/	न्यूनतम रा	अधिकतम	भारित औसत रु/
		अधिकतम संख्या			की अधिकतम		बाला		(एमसीवी)	ाकलावाट घण्टे	रु/ किलोवाट घण्टे	किलोवाट घण्टे	किलोवाट घण्टे	रु/किलोवाट घण्टे	किलोवाट घण्टे
					संख्या						4.0				
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															

टिप्पणः (1) आयोग को आगामी महीने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (2) आयोग के समक्ष डाटा की हार्ड कापी और एक्सेल शीट में साफ्ट कापी ईमेल से और सौदामिनी पोर्टल (ई-मानिटरिंग) से सचिव केविविआ को उपलब्ध करवाई जाएगी।

फार्म II

पावर एक्सचेंज (ब्लाक वार) के माध्यम से डे अहेड मार्केट में व्यापार की गयी विद्युत की कीमत और मात्रा

पावर एक्सचेंज का नामः

माह:

दिनांकः

	समय	क्रय बोलियां		विक्रय बे	ोलिया <u>ं</u>	एमयू में	अनियंत्रित	एमयू में	संव्यवहार शुल्क
ब्लाक नं		बोलियों की संख्या	एमयू की मात्रा	बोलियों की संख्या	एमयू की मात्रा	अनियंत्रित एमसीवी	एमसीपी (रु/किलोवाट घण्टे)	बाजार क्लियरिंग मात्रा	(रु/किलोवाट घण्टे)
1	00:00 - 00:15								
2	00:15 - 00:30								
3	00:30 - 00:45								
4	00:45 - 01:00								
5	01:00 - 01:15								

टिप्पणः (1) डाटा माह के प्रत्येक दिन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (2) आयोग को आगामी महीने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (3) आयोग के समक्ष डाटा की हार्ड कापी और एक्सेल शीट में साफ्ट कापी ईमेल से और सौदामिनी पोर्टल (ई-मानिटरिंग) से सचिव केविविआ को उपलब्ध करवाई जाएगी।

फार्म III

पावर एक्सचेंज (क्षेत्र वार) के माध्यम से डे अहेड मार्केट में व्यापार की गयी विद्युत की कीमत और मात्रा

पावर एक्सचेंज का नामः

माह:

	डिलीवरी	ब्लाक 	डिलीवरी	ब्लाक के दौरान संकलन (यदि हां	अनियंत्रित एमसीवी	बाजार क्लियरिंग	बाजार क्लियरिंग		क1			क2		
क्र. सं.	की तारीख	ा नं. डिलीवरी संकुलन (यदि हां का तो 1और यदि न समय तो ⊙ लगायें।)	(एमयू)	मात्रा (एमयू)	कीमत (रु/किलो वाट घण्टे)	क्रय मात्रा (एमयू)	विक्रय मात्रा (एमयू)	कीमत (रु/किलो वाट घण्टे)	क्रय मात्रा (एमयू)	विक्रय मात्रा (एमयू)	कीमत (रु/ किलोवाट घण्टे)			
1														
2														
3														
4														
5														

टिप्पणः (1) आयोग को आगामी महीने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (2) आयोग के समक्ष डाटा की हार्ड कापी और एक्सेल शीट में साफ्ट कापी ईमेल से और सौदामिनी पोर्टल (ई-मानिटरिंग) से सचिव केविविआ को उपलब्ध करवाई जाएगी।

फार्म IV

पावर एक्सचेंज के माध्यम से टर्म अहेड मार्केट में व्यापार की गयी विद्युत की कीमत और मात्रा

पावर एक्सचेंज का नामः

माह:

	संव्यवः अव (दिन	हार की धि गांक)	संव्यवहार का समय (घण्टा)		विक्रेता वास्तविक अनुसूचित मात्रा विक्रेता					क्रेता		व्यापार कीमत (रु/किलोवाट घण्टे)	संव्यवहार शुल्क (रु/किलोवाट घण्टे)
क्र.स.	से (दिनांक)	तक (दिनांक)	से (घण्टाःमिनट)	तक (घण्टाःमिनट)	मात्रा (एमयू)	विक्रेता का नाम	श्रेणी	राज्य	क्रेता का नाम	श्रेणी	राज्य	घण्टे)	
क	इन्ट्राडे												
1													
2													
ख	डे अहेड आ	कस्मिकता											
1													
2													
ग	प्रतिदिन												
1													
2													
घ	साप्ताहिक									•	•		
1													
2													_
ङ	कोई अन्य व	<u> नांट्रेक्ट</u>											
1													_
2													

टिप्पणः (1) आयोग को आगामी महीने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (2) आयोग के समक्ष डाटा की हार्ड कापी और एक्सेल शीट में साफ्ट कापी ईमेल से और सौदामिनी पोर्टल (ई-मानिटरिंग) से सचिव केविविआ को उपलब्ध करवाई जाएगी।

टिप्पणः (3) क्रेता/विक्रेता आदि के नाम के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले संक्षिप्त रूपों का पूर्ण तालिका के अंत में उपलब्ध करवाया जाएगा।

फार्म V

पावर एक्सचेंज के माध्यम से ग्रीन टर्म अहेड पावर मार्केट में व्यापार की गयी विद्युत की कीमत और मात्रा:

पावर एक्सचेंज का नाम:

माह:

क्र.सं.	अव	संव्यवहार की अवधि (दिनांक)		संव्यवहार का समय (घण्टा)		f	वेक्रेता		न्ने	ता		व्यापार कीमत (रु/किलो वाट घण्टे)	संव्यवहार शुल्क (रु/किलोवाट घण्टे)
	से (दिनांक)	तक (दिनांक)	से (घण्टाःमिनट)	तक (घण्टाःमिनट)	वास्तविक अनुसूचित मात्रा (एमयू)	विक्रेता का नाम	श्रेणी	राज्य	क्रेता का नाम	श्रेणी	राज्य	वाट घण्टे)	
क	इन्ट्राडे	5	•	•		•				I	I	•	
1													
2													
ख	डे अहेड अ	ाकस्मिकत	Г										
1													
2													
ग	प्रतिदिन												
1													
2													
घ	साप्ताहिक												
1													
2													
ङ	कोई अन्य	कांट्रेक्ट											
1													
2													

टिप्पणः (1) आयोग को आगामी महीने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (2) आयोग के समक्ष डाटा की हार्ड कापी और एक्सेल शीट में साफ्ट कापी ईमेल से और सौदामिनी पोर्टल (ई-मानिटरिंग) से सचिव केविविआ को उपलब्ध करवाई जाएगी।

टिप्पणः (3) क्रेता/विक्रेता आदि के नाम के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले संक्षिप्त रूपों का पूर्ण तालिका के अंत में उपलब्ध करवाया जाएगा।

फार्म VI

पावर एक्सचेंज (दिवस वार) के माध्यम से वास्तविक समय बाजार में व्यापार की गई विद्युत की कीमत और मात्रा:

पावर एक्सचेंज का नाम:

माह:

	डिलीवरी		क्रय बोली की संख्या	एमयू में	15 मिन्ट	विक्रय	एमयू में	एमयू में अनियंत्रित	एमयू में बाजार		अनियंत्रित	एमसीपी	बाजार क्लियरिंग कीमत (एमसीपी)			
क्र.सं.	की तारीख	बोलियों की अधिकतम संख्या		कुल क्रय बोली	ब्लाक में विक्रय बोलियों की अधिकतम संख्या	विक्रय बोली की संख्या	कुल विक्रय बोली	अनियंत्रित एमसीवी	क्लियरिंग मात्रा(एम सीवी)	न्यूनतम रु/किलो वाट घण्टे	अधिकतम रु/किलोवा ट घण्टे	भारित औसत रु/किलोवाट घण्टे	न्यूनतम रु/किलोवा ट घण्टे	अधिकतम रु/किलोवा ट घण्टे	भारित औसत रु/किलोवा ट घण्टे	
1					(1941											
2																
3																
4																
5																
6																
7																

टिप्पणः (1) आयोग को आगामी महीने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (2) आयोग के समक्ष डाटा की हार्ड कापी और एक्सेल शीट में साफ्ट कापी ईमेल से और सौदामिनी पोर्टल (ई-मानिटरिंग) से सचिव केविविआ को उपलब्ध करवाई जाएगी।

फार्म VII

पावर एक्सचेंज (ब्लाक वार) के माध्यम से वास्तविक समय बाजार में व्यापार की गई विद्युत की कीमत और मात्रा:

पावर एक्सचेंज का नाम:

माह:

	समय	क्रय बोलियां		विक्रय ब	ोलियां	एमय में	अनियंत्रित	एमयू में	संव्यवहार शुल्क
ब्लाक नं.		बोलियों की संख्या	एमयू की मात्रा	बोलियों की संख्या	एमयू की मात्रा	एमयू में अनियंत्रित एमसीवी	एमसीपी (रु/किलोवाट घण्टे)	बाजार क्लियरिंग मात्रा	(रु/किलोबाट घण्टे)
1	00:00 - 00:15								
2	00:15 - 00:30								
3	00:30 - 00:45								
4	00:45 - 01:00								
5	01:00 - 01:15								

टिप्पणः (1) डाटा माह के प्रत्येक दिन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (2) आयोग को आगामी महीने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (3) आयोग के समक्ष डाटा की हार्ड कापी और एक्सेल शीट में साफ्ट कापी ईमेल से और सौदामिनी पोर्टल (ई-मानिटरिंग) से सचिव केविविआ को उपलब्ध करवाई जाएगी।

फार्म VIII

पावर एक्सचेंज (क्षेत्र वार) के माध्यम से वास्तविक समय बाजार में व्यापार की गयी विद्युत की कीमत और मात्रा

पावर एक्सचेंज का नाम:

माह:

	डिलीवरी	ब्लाक नं.	डिलीवरी	ब्लाक के दौरान संकुलन (यदि हां	अनियंत्रित एमसीवी	बाजार क्लियरिंग	बाजार क्लियरिंग		क1			क2		
क्र. सं.	की तारीख	ч.	का समय	तो 1और यदि न तो o लगायें।)	(एमयू)	मात्रा (एमयू)	कीमत (रु/किलो	क्रय मात्रा	विक्रय मात्रा(ए	कीमत (रु/किलो	क्रय मात्रा	विक्रय मात्रा	कीमत (रु/कि	
							वाट घण्टे)	(एमयू)	मयू)	वाट घण्टे)	(एमयू)	(एमयू)	लोवाट घण्टे)	
1														
2														
3														
4														
5														

टिप्पणः (1) आयोग को आगामी महीने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (2) आयोग के समक्ष डाटा की हार्ड कापी और एक्सेल शीट में साफ्ट कापी ईमेल से और सौदामिनी पोर्टल (ई-मानिटरिंग) से सचिव केविविआ को उपलब्ध करवाई जाएगी।

फार्म IX

पावर एक्सचेंज के माध्यम से व्यापार की गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र(आरईसी) की मात्रा और कीमत

पावर एक्सचेंज का नाम:

माह:

क्र.सं.	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र का प्रकार	क्रय बोली की मात्रा	विक्रय बोली की मात्रा	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मात्रा (नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की संख्या)	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की भारित औसत कीमत (रु/आरईसी)
1	सौर				
2	गैर-सौर				

टिप्पण: (1) 1 नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र = 1 मेमावाट घंटे

टिप्पणः (1) आयोग को आगामी महीने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (2) आयोग के समक्ष डाटा की हार्ड कापी और एक्सेल शीट में साफ्ट कापी ईमेल से और सौदामिनी पोर्टल (ई-मानिटरिंग) से सचिव केविविआ को उपलब्ध करवाई जाएगी।

फार्म X

पावर एक्सचेंजों के माध्यम से क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा व्यापार की गयी विद्युत/ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र

पावर एक्सचेंज का नाम:

माहः

新. ボ.	क्रेता / विक्रेता का नाम (ग्राहक)	श्रेणी	राज्य	की	म में व्य गई मा ^इ एमयू में)	श्रा		में व्यापा ई मात्रा एमयू में			न में व्य की गई (एमयू गें	मात्रा				गई ऊज ो मात्रा	र्जा बचत	
					क्रय	कुल		क्रय	कुल		क्रय	कुल		सौर		:	गैर-सौर	
				विक्रय		Ü	विक्रय		Ü	विक्रय			विक्रय	क्रय	कुल	विक्रय	क्रय	कुल
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		

टिप्पणः (1) आयोग को आगामी महीने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (2) आयोग के समक्ष डाटा की हार्ड कापी और एक्सेल शीट में साफ्ट कापी ईमेल से और सौदामिनी पोर्टल (ई-मानिटरिंग) से सचिव केविविआ को उपलब्ध करवाई जाएगी।

फार्म XI

पावर एक्सचेंजों के माध्यम से व्यापारी द्वारा व्यापार की गई विद्युत/ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र

पावर एक्सचेंज का नाम:

माहः

평. 각.	नाम	श्रेणी	डीएएम् गई म	ा में व्याप ात्रा (एम	गार की यू में)	टीएएम में व्यापार की गई मात्रा (एमयू में)			ं में व्यापा गई मात्रा में)		व्यापा	ार की ग	ाई ऊर्जा	बचत प्रम	ाणपत्र र्क	ो मात्रा	
			क्रय कुल विक्रय		विक्रय	क्रय	कुल	विक्रय	क्रय कुल			सौर		गै	र-सौर		
			।वक्रय			। वक्रय			। वक्रय			विक्रय	क्रय	कुल	विक्रय	क्रय	कुल
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

टिप्पणः (1) आयोग को आगामी महीने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (2) आयोग के समक्ष डाटा की हार्ड कापी और एक्सेल शीट में साफ्ट कापी ईमेल से और सौदामिनी पोर्टल (ई-मानिटरिंग) से सचिव केविविआ को उपलब्ध करवाई जाएगी।

फार्म XII

पावर एक्सचेंज के माध्यम से फेसिलिटेटर सदस्यों द्वारा व्यापार की गई विद्युत/ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र की मात्रा

पावर एक्सचेंज का नाम:

माह:

ब्र <u>.</u> इ.	श्रेणी	डीएएम् गई म	ा में व्याप ात्रा (एम्	गर की यू में)	गई मात्रा (एमयू में)			ं में व्यापा गई मात्रा में)	र की (एमयू	व्यापा	र की ग	ई ऊर्जा ब	त्रचत प्रमा	णपत्र की	मात्रा	
			क्रय	कुल	विक्रय	क्रय	कुल		क्रय	कुल		सौर		गै	रि-सौर	
		विक्रय			विक्रय			विक्रय			विक्रय	क्रय	कुल	विक्रय	क्रय	कुल
1																
2																
3																
4																
5																

टिप्पणः (1) आयोग को आगामी महीने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (2) आयोग के समक्ष डाटा की हार्ड कापी और एक्सेल शीट में साफ्ट कापी ईमेल से और सौदामिनी पोर्टल (ई-मानिटरिंग) से सचिव केविविआ को उपलब्ध करवाई जाएगी।

फार्म XIII

पावर एक्सचेंज(बोली का प्रकार वार) के माध्यम से व्यापार की गई विद्युत की मात्रा

पावर एक्सचेंज का नाम:

माह:

						बोली	का प्रकार				
क्र-स	डिलीवरी की तारीख	सिंगल	बोली	ब्लाक व	बोली	पेरेंट चाइल	ड बोली	न्यूनतम मात्रा	बोली	प्रोफाइल व	ब्लाक बोली
		बोलियों की मात्रा (एमयू संख्या में)		बोलियों की संख्या	मात्रा (एमयू में)	बोलियों मात्रा की संख्या (एमयू मे))		बोलियों की संख्या	मात्रा(एमयू मे)	बोलियों की संख्या	मात्रा (एमयू मे)
1											
2											
3											
4											
5											

टिप्पणः (1) आयोग को आगामी महीने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (2) आयोग के समक्ष डाटा की हार्ड कापी और एक्सेल शीट में साफ्ट कापी ईमेल से और सौदामिनी पोर्टल (ई-मानिटरिंग) से सचिव केविविआ को उपलब्ध करवाई जाएगी।

फार्म XIV

संकुलता राजस्व (ब्लाक वार)

पावर एक्सचेंज का नाम:

माह

	डिलीवरी की			संकुलित	किलोवाट घण्टे में		मूल्य		ब्लाक के लिए
क्र.स	तारीख	ब्लाक संख्या	समय	कारिडोर	संकुलित कारिडोर में विद्युत प्रवाह(क)	अपस्ट्रीम (रु/किलोवाट घण्टे)	डाउनस्ट्रीम (रु/किलोवाट घण्टे)	अन्तर (रु/किलोवाट	संकुलित राजस्व (रु में)
						(ख)	(ग)	घण्टे) (घ)=(ख)-(ग)	(ङ)=(क)- (घ)
								(4) (4)-(4)	
1									
2									
3									
4									
5									

टिप्पणः (1) आयोग को आगामी महीने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (2) आयोग के समक्ष डाटा की हार्ड कापी और एक्सेल शीट में साफ्ट कापी ईमेल से और सौदामिनी पोर्टल (ई-मानिटरिंग) से सचिव केविविआ को उपलब्ध करवाई जाएगी।

फार्म XV

पावर एक्सचेंजों के माध्यम से व्यापार किए गए ऊर्जा बजत प्रमाणपत्रों (ईएससी) की कीमत और मात्रा

पावर एक्सचेंज का नाम:

माह

क्र.स.	दिनांक	क्रय बोली की मात्रा	विक्रय बोली की मात्रा	प्रतिभागियों की संख्या	ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र की व्यापार मात्रा	पता लगाई गई कीमत
1						
2						

टिप्पणः (1) 1 ईएससी = 1 एमटीओई(मिट्रिक टन तेल के समतुल्य)

टिप्पणः ;(2) आयोग को आगामी महीने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (3) आयोग के समक्ष डाटा की हार्ड कापी और एक्सेल शीट में साफ्ट कापी ईमेल से और सौदामिनी पोर्टल (ई-मानिटरिंग) से सचिव केविविआ को उपलब्ध करवाई जाएगी।

फार्म XVI

सदस्यों का संपर्क विवरण

पावर एक्सचेंज का नाम:

माह

क्र.सं	नाम	श्रेणी	संपर्क व्यक्ति	रजिस्टर्ड कार्यालय का पता	टेलीफोन नं	ईमेंल
1						
2						
3						
4						
5						

टिप्पणः (1) आयोग को आगामी महीने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः (2) आयोग के समक्ष डाटा की हार्ड कापी और एक्सेल शीट में साफ्ट कापी ईमेल से और सौदामिनी पोर्टल (ई-मानिटरिंग) से सचिव केविविआ को उपलब्ध करवाई जाएगी।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2021

No. L-1/257/2020/CERC.—In exercise of powers conferred under Section 66 read with subsection (1) of Section 178 and clause (y) of sub-section (2) of Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and paragraph 5.7.1(f) of the National Electricity Policy, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:

Part-I

Preliminary

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021.
- (2) These regulations shall come into force from the date to be separately notified by the Commission.

2. Definitions and Interpretation

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - (b) "Ancillary Services" shall have the same meaning as defined in the Grid Code;
 - (c) "Ancillary Services Contract" means a contract for providing Ancillary Services;
 - (d) "Associate" in relation to a Power Exchange or Trader Member or Proprietary Member or Facilitator Member of a Power Exchange, as the case may be, means associate company or related party as defined in sub-sections (6) and (76) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) respectively;
 - (e) "Automated audit trail" means automated creation and maintenance of electronic timesequenced record of transactions (creation, modification or deletion) in the Power Exchange for reference or audit at a later date or time;
 - (f) "Bid" means the electronic document by which a member of a Power Exchange submits price and quantity in relation to a contract, for which it seeks to make a transaction;
 - (g) "Bid type" means the category of bids with distinct specifications as applicable in relation to each contract to be transacted on a Power Exchange;
 - (h) "Board" means the Board of Directors of a Power Exchange;
 - (i) "Cartelization" means an act by Market Participants who, by agreement amongst themselves, limit or control or attempt to limit or control generation, distribution, sale, price or trade of electricity;
 - (j) "Capacity Contract" means a contract where the capacity of a generating station is contracted in advance wherein the generating station is obligated to despatch contracted electricity as and when required by such buyer during the tenure of the contract and consideration by way of capacity payment is made by the buyer;
 - (k) "Circular Trading" means and relates to trading and transactions by a member or group of members, wherein on one side, one or more entities of the member or group of members enter buy bids and on the other side, one or more entities of the same member or same group of members enter sell bids or vice versa, by design to manipulate the price of electricity or by design to create an artificial market or to defraud or misuse the system;
 - (l) "Clearing" means the process of determination of obligations of members of a Power Exchange resulting from the conclusion of a transaction at the Power Exchange;

- (m) "Client" means a person who has executed an agreement with a member of a Power Exchange for dealing with or clearing through such member;
- (n) "Collective Transactions" means a set of transactions executed in the Power Exchange(s) and whose price is discovered through anonymous and simultaneous competitive bidding by buyers and sellers;
- (o) "Conduct of Business Regulations" means the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999, as amended from time to time and any re-enactment thereof:
- (p) "Contingency Contract" means a contract wherein Continuous Transactions occur on day (T) after the finalization of day ahead transactions and the delivery of electricity is on the next day (T+1);
- (q) "Continuous Transactions" means a set of transactions executed in the Power Exchange(s), not being Collective Transactions, where the buy bids and the sell bids are matched on a continuous basis with price-time priority;
- (r) "Contract" means an agreement between seller and buyer for sale and purchase of electricity or Renewable Energy Certificate or Energy Savings Certificate or any other product as may be decided by the Commission;
- (s) "Day Ahead Contract" means a contract wherein Collective Transactions occur on day (T) and delivery of electricity is on the next day (T+1);
- (t) "Day Ahead Market (DAM)" means a market where Day Ahead Contracts are transacted on the Power Exchange(s);
- (u) "Energy Savings Certificates Regulations" means the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Dealing in Energy Savings Certificates) Regulations, 2016, as amended from time to time and any re-enactment thereof;
- (v) "Gate closure" refers to the time at which the bidding for a specific delivery period closes and no further bidding or modification of already placed bids can take place for the said delivery period;
- (w) "Grant of Connectivity Regulations" means the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009, as amended from time to time and any reenactment thereof;
- (x) "Grid Code" means the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010, as amended from time to time and any re-enactment thereof;
- (y) "Independent Director" means a Director as defined in sub-section 47 of Section 2 of the Companies Act, 2013;
- (z) "Insider" means a person:
 - (i) who is or has been, during the six months prior to the concerned event, associated with the Power Exchange, directly or indirectly, in any capacity including by reason of frequent communication with its officers or by being in any contractual, fiduciary or employment relationship or by being a Director, officer or an employee of the Power Exchange or by holding any position including a professional or business relationship with the Power Exchange whether temporary or permanent, that allows such person, directly or indirectly, access to unpublished price sensitive information about transactions on a Power Exchange;
 - (ii) who is in possession of or has access to unpublished price sensitive information about transactions on a Power Exchange;
 - (iii) who has acquired unpublished price sensitive information through criminal activity.
- (aa) "Insider Trading" by an Insider means:

- (i) communicating, providing, or allowing access to any unpublished price sensitive information, to any person including other Insiders except where such communication is in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations;
- (ii) recommending any person, on basis of unpublished price sensitive information, to acquire or dispose of any contract on the Power Exchange, to which that information relates.
- (ab) "Intraday Contract" means a contract wherein Continuous Transactions occur on day (T) and delivery of electricity is on the same day (T), such that its delivery period does not overlap with the specified delivery period of the Real-time Contract transacted in the same bidding session as that of the Intraday Contract;
- (ac) "Load Despatch Centre" (LDC) means the National Load Despatch Centre (NLDC) or Regional Load Despatch Centres (RLDC) or State Load Despatch Centres (SLDC), as the case may be;
- (ad) "Managing Director" means a Director as defined in sub-section 54 of Section 2 of the Companies Act, 2013;
- (ae) "Market" means a platform where buyers and sellers, either directly or through Trading Licensees, or through Power Exchanges, buy or sell electricity or Renewable Energy Certificates or Energy Savings Certificates or any other product as may be decided by the Commission;
- (af) "Market Coupling" means the process whereby collected bids from all the Power Exchanges are matched, after taking into account all bid types, to discover the uniform market clearing price for the Day Ahead Market or Real-time Market or any other market as notified by the Commission, subject to market splitting;
- (ag) "Market Coupling Operator" means an entity as notified by the Commission for operation and management of Market Coupling;
- (ah) "Market Manipulation" means:
 - (i) entering into any transaction on the Power Exchange by any Market Participant, which:
 - (1) gives, or is likely to give, false or misleading signals as to the supply of, demand for, or price of any of the contracts;
 - (2) secures or attempts to secure, by any member of the Power Exchange or client, relatively higher sale price while curtailing supply to other beneficiaries entitled to receive the same power;
 - (ii) disseminating any information through the media which gives, or is likely to give, false or misleading signals as to the supply of, demand for, or price of any of the contracts;
- (ai) "Market Participants" shall include:
 - (1) grid connected entities;
 - (2) Power Exchanges;
 - (3) Members of Power Exchanges;
 - (4) Trading Licensees;
 - (5) Market Coupling Operator;
 - (6) OTC Platform;
 - (7) Any other entity as notified by the Commission.
- (aj) "Market Splitting" means the mechanism adopted by the Power Exchange or Market Coupling Operator, as the case may be, for discovering price of electricity in various bidding areas or zones facing congestion in transmission corridor, whereby these bidding areas or zones are split into independent markets and the flow of electricity between these independent markets is permitted to the extent of available transmission corridor under safe grid operating conditions;

- (ak) "Member of Power Exchange" means a person who has been admitted as such by a Power Exchange in accordance with these regulations and in accordance with bye-laws, rules and business rules of the concerned Power Exchange;
- (al) "Net worth" means aggregate value of the paid-up equity share capital and compulsorily convertible preferential shares and free reserves (excluding reserves created out of revaluation and write back of depreciation) reduced by the aggregate value of accumulated losses, deferred expenditure (including miscellaneous expenses) not written off and loans and advances to and investment made in the Associates;
- (am) "Open Access Regulations" means the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008, as amended from time to time and any re-enactment thereof:
- (an) "Over the Counter (OTC) Contracts" means the contracts transacted outside the Power Exchanges;
- (ao) "Over the Counter (OTC) Market" is a market where OTC Contracts are transacted between the sellers and the buyers directly or through a Trading Licensee;
- (ap) "Over the Counter (OTC) Platform" is an electronic platform for exchange of information amongst the buyers and sellers of electricity;
- (aq) "Payment of Fees Regulations" means the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012, as amended from time to time and any re-enactment thereof;
- (ar) "Persons acting in concert" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of subregulation (1) of Regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended from time to time and any re-enactment thereof;
- (as) "Power Exchange" means an electronic platform registered as a Power Exchange under these regulations;
- (at) "Real-time Contract" means a contract other than Day Ahead Contract or Intraday Contract or Contingency Contract, wherein Collective Transactions occur on day (T) or day (T-1) and delivery of electricity is on day (T) for a specified delivery period;
- (au) "Real-time Market" means a market where Real-time Contracts are transacted on the Power Exchange(s);
- (av) "REC Regulations" means the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010, as amended from time to time and any re-enactment thereof;
- (aw) "Settlement" means the process of discharging the obligations of members or clients of such members resulting from conclusion of a transaction at a Power Exchange;
- (ax) "Settlement Guarantee Fund (SGF)" means a fund created and maintained by Power Exchange and used for settlement of defaults of its members or clients of such members as stipulated in the default remedy mechanism of Power Exchange and shall comprise of any sources of funds as may be determined by the Power Exchange with prior approval of the Commission;
- (ay) "Shareholder Director" means a Director of the Power Exchange who represents the interests of shareholders, and is elected or nominated by such shareholders;
- (az) "Sharing Regulations" means the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020, as amended from time to time and any re-enactment thereof;
- (ba) "Term Ahead Contract" means a contract (including Green Term Ahead Contract) wherein transactions occur on day (T) and physical delivery of electricity is on a day more than one day ahead (T + 2 or more);

- (bb) "Term Ahead market" means a market where Term Ahead Contracts are transacted on the Power Exchange(s);
- (bc) "Trading Licence Regulations, 2020" means the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2020, as amended from time to time and any re-enactment thereof;
- (bd) "Trading Licensee" shall have the same meaning as defined in Trading Licence Regulations, 2020:
- (be) "Transaction fee" means the fee payable (in Rs./kWh) by members or clients, as applicable, for transactions on a Power Exchange;
- (bf) "unpublished price sensitive information" means any information, relating to contracts transacted on the Power Exchange, that is not generally available which upon becoming generally available, is likely to materially affect the price of the contract and shall ordinarily include, but not restricted to, information relating to the following contracts:
 - (i) Day Ahead Contract;
 - (ii) Real-time Contract;
 - (iii) Intraday Contract;
 - (iv) Contingency Contract;
 - (v) Term Ahead Contract.
- (2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or if the subject-matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act or other regulations made thereunder by the Commission shall have the meaning assigned to them in the Act or other regulations made by the Commission.

Part - 2

Scope of Regulations and Extent of Application

3. These regulations shall apply to:

- (1) Power Exchange;
- (2) Market Participants other than Power Exchange; and
- (3) OTC Market.

4. These regulations shall apply to the following types of contracts:

- (1) Contracts transacted on the Power Exchange:
 - (a) Delivery based electricity contracts:
 - (i) Day Ahead Contracts;
 - (ii) Real-time Contracts;
 - (iii) Intraday Contracts;
 - (iv) Contingency Contracts;
 - (v) Term Ahead Contracts; and
 - (vi) Any other contracts, including Capacity Contracts and Ancillary Services Contracts, as may be approved by the Commission;
 - (b) Contracts relating to Renewable Energy Certificates;
 - (c) Contracts relating to Energy Saving Certificates; and
 - (d) Any other contracts, as may be approved by the Commission.
- (2) Contracts in the OTC Market: Delivery based contracts.

Part - 3

Features of Contracts

5. Contracts transacted on Power Exchanges

(1) Day Ahead Contracts and Real-time Contracts

(a) Price discovery:

- (i) Price Discovery shall be done by Power Exchanges or by Market Coupling Operator as and when notified by the Commission.
- (ii) Price discovery mechanism shall adopt the principle of maximisation of economic surplus (sum of buyer surplus and seller surplus), taking into account all bid types.
- (iii) The bidding mechanism shall be double sided closed bid auction on day ahead basis or on real time basis, as the case may be.
- (iv) The price discovered for the unconstrained market shall be a uniform market clearing price for all buyers and sellers who are cleared:

Provided that in case of congestion in transmission corridor, market splitting shall be adopted.

(b) Scheduling and delivery:

- (i) The scheduling and delivery of transactions for Day Ahead Contracts and Real-time Contracts (including the timeline for gate closure, wherever applicable) shall be in coordination with the National Load Despatch Centre and in accordance with relevant provisions of the Open Access Regulations and the Grid Code.
- (ii) Inter-State and intra-State transmission charges and losses shall be as per the Open Access Regulations and the Sharing Regulations.

(2) Intraday Contracts and Contingency Contracts

(a) **Price discovery:** The bidding mechanism and price discovery mechanism shall be as approved by the Commission based on the proposal of the Power Exchange.

(b) Scheduling and delivery:

- (i) The scheduling and delivery of transactions for Intraday Contracts and Contingency Contracts shall be in coordination with the system operator and in accordance with relevant provisions of the Grid Code and the Open Access Regulations and the Procedure issued thereunder.
- (ii) Inter-State and intra-State transmission charges and losses shall be as per the Open Access Regulations and the Sharing Regulations.

(3) Term Ahead Contracts

(a) **Price discovery:** The bidding mechanism and price discovery mechanism shall be as approved by the Commission based on the proposal of the Power Exchange.

(b) Scheduling and delivery:

- (i) The scheduling and delivery of transactions for Term Ahead Contracts shall be in coordination with the system operator and in accordance with relevant provisions of the Grid Code and the Open Access Regulations and the Procedure issued thereunder.
- (ii) Inter-State and intra-State transmission charges and losses shall be as per the Open Access Regulations and the Sharing Regulations.
- (iii) Term Ahead Contracts shall be settled only by physical delivery of electricity and shall be binding on the participants executing the transactions.

- (iv) No Circular Trading shall be allowed and the rights and liabilities of the parties to the Term Ahead Contract shall not be transferred or rolled over by any other means whatsoever.
- (4) **Renewable Energy Certificates:** The transactions in Renewable Energy Certificates shall be in accordance with the procedure issued by the Central Agency in pursuance to the REC Regulations.
- (5) **Energy Savings Certificates:** The transactions in Energy Savings Certificates shall be in accordance with the procedure issued by the Administrator in pursuance to the Energy Savings Certificates Regulations.

6. Contract and Settlement conditions

- (1) Contracts covered under clauses (1) to (3) of Regulation 5 of these regulations cannot be annulled or curtailed except due to constraints in the transmission corridor or any other technical reasons in accordance with the Open Access Regulations and the Grid Code.
- (2) Settlement of payments pertaining to the transactions for contracts covered under clauses (1) to (5) of Regulation 5 of these regulations shall be carried out in accordance with the provisions of Regulation 27 of these regulations.
- (3) In the event of a forced outage of a generating station or unit thereof, or any other event as may be notified by the Commission, wherein the obligation of the generating station to supply electricity continues under an existing contract, such generating station may fulfil its obligation under the said contract by entering into a contract(s) covered under clause (1) or (2) or (3) of Regulation 5 of these regulations.

7. Contracts transacted in the OTC Market

- (1) **Price discovery:** The price and other terms of contract in the OTC Market shall be determined either through mutual agreement between the buyer and the seller directly or through a Trading Licensee or through competitive bidding process or as determined by the Appropriate Commission.
- (2) **Delivery procedure:** The application for scheduling of contracts in the OTC Market shall be made in accordance with the:
 - (i) Open Access Regulations for:
 - (a) Advance scheduling;
 - (b) First-Come-First-Served;
 - (c) Day-Ahead bilateral transaction;
 - (d) Bilateral transactions in a contingency.
 - (ii) Grant of Connectivity Regulations for:
 - (a) Long-term access;
 - (b) Medium-term open access.
- (3) **Settlement Conditions:** The settlement of contracts transacted in the OTC Market shall be only by physical delivery of electricity.

Part - 4

Power Exchange

8. Objectives of Power Exchange

The Power Exchanges shall be established and operated with the following objectives:

- (1) To design electricity contracts and facilitate transactions of such contracts;
- (2) To ensure fair, neutral, efficient and robust price discovery, till such time the responsibilities are transferred to the Market Coupling Operator in respect of Day Ahead Contracts or Real-time Contracts or any other contracts as notified by the Commission;

(3) To facilitate extensive, quick and efficient price discovery and dissemination.

9. Eligibility criteria

The applicant for establishing a Power Exchange shall fulfil the following criteria at the time of making application for registration of Power Exchange:

- (1) The applicant is a company limited by shares incorporated or deemed to be incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013;
- (2) The applicant is demutualised;

Explanation: For the purposes of this sub-regulation, the term "demutualised" means that the ownership and management of the applicant is segregated from the trading rights, in terms of these regulations.

- (3) The main objects of the applicant company is to establish and operate a Power Exchange.
- (4) The applicant has a Net worth of minimum Rs. 50 crores as per the audited special balance sheet as on any date falling within 30 days immediately preceding the date of filing the application for grant of registration.
- (5) The Directors of the applicant satisfy the requirements relating to qualifications and are not disqualified for appointment on the Board of Directors as specified in Regulation 18 of these regulations.
- (6) The applicant satisfies the requirements relating to the ownership as specified in Regulation 15 and governance structure as specified in Regulation 17 of these regulations.

10. List of documents to be submitted along with the application

The applicant shall submit the following documents along with its application for registration of Power Exchange:

- (1) Memorandum and Articles of Association of the company;
- (2) The audited special balance sheet as on any date falling within 30 days immediately preceding the date of filing the application for grant of registration showing the Net worth of the applicant;
- (3) Copies of the annual report and/or audited accounts of the applicant for the last three years or such lesser period during which the applicant may have been incorporated;
- (4) Project report containing the following details:
 - (a) Constitution of the proposed Power Exchange;
 - (b) Business plan, including funding sources, of the proposed Power Exchange;
 - (c) Management and administrative structure of the proposed Power Exchange;
 - (d) Infrastructural facilities available or proposed to be acquired by the Power Exchange;
- (5) The draft rules of the proposed Power Exchange in general relating to constitution of the proposed Power Exchange and in particular relating to:
 - (a) The Board of Directors of the Power Exchange, its constitution and powers; and
 - (b) Management of the Power Exchange and the manner in which its business is to be transacted;
- (6) The draft bye-laws, draft rules and draft business rules of the proposed Power Exchange covering aspects specified in Regulation 19 of these regulations.

11. Procedure for filing application

- (1) Application for grant of registration of a Power Exchange shall be filed in the form of a petition before the Commission in accordance with the Conduct of Business Regulations.
- (2) The applicant shall publish salient details of the applicant, proposed transaction platform and website where the full application is accessible, in all editions of at least two national daily

newspapers including one economic daily newspaper within 7 days of filing of the application inviting public objections and suggestions up to a period of 30 days from the date of publication of such notice in the newspapers.

- (3) After scrutiny of the application, the Commission may call for such further information or documents as may be considered appropriate.
- (4) The application as filed and the information as sought for by the Commission shall be posted and kept on the website of the applicant till the disposal of the application by the Commission.
- (5) The applicant shall file before the Commission its reply to the objections and suggestions received in response to the public notice within 60 days of its publication in the newspapers.
- (6) The Commission, after consideration of the application, the objections and suggestions received in response to the public notice published by the applicant and the applicant's reply to objections and suggestions received in response to the public notice, and on being satisfied that the applicant meets the eligibility criteria specified in Regulation 9 of these regulations, may propose to grant registration to the applicant for setting up and operation of the Power Exchange.
- (7) Where the Commission proposes to grant registration to the applicant in terms of clause (6) of this Regulation, it shall publish a notice of its proposal in all editions of two national daily newspapers, as the Commission may consider appropriate, stating the name and address of the applicant to whom the registration is proposed to be granted along with such other details as the Commission considers appropriate, to invite further objections and suggestions.
- (8) The applicant may file reply to the objections and suggestions received in response to the notice published by the Commission.
- (9) On consideration of objections and suggestions received in terms of clause (7) of this Regulation and the reply of the applicant thereto in terms of clause (8) of this Regulation, the Commission shall deal with the application in accordance with clause (1) of Regulation 12 of these regulations.

12. Grant and renewal of registration to Power Exchanges

- (1) The Commission may, after making such inquiries as may be necessary in this regard and after obtaining such further information as it may require, grant registration subject to such conditions as deemed fit, for establishing and operation of a Power Exchange, or reject the application, for reasons to be recorded in writing:
 - Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard.
- (2) The registration of a Power Exchange shall be for a period of twenty-five (25) years from the date of grant of registration unless such registration is revoked or cancelled earlier.
- (3) The Commission may, on an application filed by the Power Exchange, after making such inquiries as may be necessary in this regard and after obtaining such information as it may require, renew registration for a further period of 25 years or for such lesser period as the Commission considers appropriate.
- (4) An application for renewal of registration shall be filed by the Power Exchange at least one year before the expiry of the period of registration.
- (5) The Power Exchanges which have been granted registration by the Commission prior to the date of coming into force of these regulations shall be deemed to be registered under these regulations subject to payment of annual registration charge:
 - Provided that such Power Exchanges shall realign their bye-laws, rules and business rules in accordance with these regulations and for this purpose, shall submit the draft bye-laws, draft rules and draft business rules for approval of the Commission within six months from the date of coming into force of these regulations;

Provided further that the existing approved bye-laws, rules and the business rules shall remain in force till the Commission gives approval to revised bye-laws, rules and business rules;

Provided also that anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the existing approved bye-laws, rules and business rules, after coming into force of these regulations shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of these regulations, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

13. Registration Charge

- (1) Power Exchange shall pay an annual registration charge as specified in the Payment of Fees Regulations.
- (2) The annual registration charge shall be payable by 30th of April every year in accordance with the Payment of Fees Regulations.
- (3) A Power Exchange shall declare, at the beginning of each financial year, the volume of transactions proposed to be undertaken during the financial year and pay the annual registration charge for the corresponding category:

Provided that in case of any difference between volume of transactions proposed to be undertaken during the financial year and actual volume of transaction at the end of financial year, the annual registration charge shall be adjusted in the registration charge for the next financial year.

14. Net worth

A Power Exchange shall have a minimum Net worth of Rs. 50 crores at all times:

Provided that the Power Exchanges which have been granted registration by the Commission prior to the date of coming into force of these regulations shall meet the minimum Net worth criteria within a period of six months from the date of coming into force of these regulations and submit an audited special balance sheet to support the compliance of Net worth requirement;

Provided further that in case the Net worth of the Power Exchange reduces at any time below Rs. 50 crores, the Commission may allow the Power Exchange to achieve the Net worth within such period as may be considered necessary.

15. Ownership structure of Power Exchange

- (1) The shareholding pattern for equity holders in Power Exchange shall be as follows:
 - (a) Any shareholder other than a member or a client, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, shall not acquire or hold more than 25% of shareholding in the Power Exchange.
 - (b) A member or a client, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, shall not acquire or hold more than 5% of shareholding in the Power Exchange.
 - (c) A Power Exchange can have a maximum of 49% of its total shareholding owned by entities, which are members or clients, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert.
- (2) The Power Exchanges which have been granted registration by the Commission prior to the date of coming into force of these regulations, shall within a period not exceeding one year from the date of coming into force of these regulations, ensure compliance with sub-clauses (a) to (c) of clause (1) of this Regulation.
- (3) The Power Exchange shall ensure compliance with the shareholding limits as specified in this Regulation at all times.

16. Disclosure of information regarding ownership of the Power Exchange

- (1) The Power Exchange shall disclose to the Commission by 30th April each year its category-wise shareholding pattern as on 31st March of that year, or when there is a significant change in the shareholding or as and when directed by the Commission.
- (2) The Power Exchange shall maintain and preserve all the relevant documents and records relating to the issue or transfer of its shares for a period of not less than eight years and make them available to the Commission as and when directed.

17. Governance structure of Power Exchange

- (1) The Board of Directors of the Power Exchange shall have the following categories of Directors:-
 - (a) Shareholder Director;
 - (b) Independent Director; and
 - (c) Managing Director.
- (2) The number of Independent Directors shall not be less than the number of Shareholder Directors on the Board of the Power Exchange:
 - Provided that for this purpose, the Managing Director shall be included in the category of Shareholder Directors.
- (3) A minimum of two names shall be submitted by the Board of the Power Exchange to the Commission for approval for each vacancy of Independent Directors.
- (4) The Power Exchange shall ensure that Independent Directors are selected from diverse fields of work and while deciding to propose name of a particular person as an Independent Director, the Power Exchange shall also take into account the following factors:
 - (a) Persons having qualification in the area of law, finance, accounting, economics, management, administration or any other area relevant to the power markets, may be considered;
 - (b) At least one person having experience and background in finance or accounts, shall be inducted;
 - (c) Persons currently holding positions of trust and responsibility in reputed organisations or persons who have retired from such positions, may be considered;
 - (d) Persons who are likely to have interested positions in commercial contracts and financial affairs of the Power Exchange, shall be excluded;
 - (e) Persons who are directors in the board of the promoter entity of the Power Exchange, shall be excluded;
 - (f) Persons who are in any fiduciary relationship with any member of Power Exchange, shall be excluded.
- (5) The Manging Director shall be a professional qualified in the fields of power sector or finance or management or information technology and hold sufficient experience.
- (6) The Managing Director shall function as the Chief Executive of the Power Exchange and all powers in respect of day-to-day affairs of the Power Exchange shall be vested with him.
- (7) The Managing Director or any employee of the Power Exchange shall not be directly or indirectly associated with any member of the Power Exchange or client or participant of the Power Exchange or with a holding or subsidiary company thereof.
- (8) The Managing Director shall ensure that the details of individual bids of members of the Power Exchange are not shared with the Board of Directors.
- (9) The names of persons to be appointed as Shareholder Directors shall be approved by the Board of Directors of the Power Exchange, followed by shareholders' approval and thereafter shall be submitted to the Commission for information.
- (10) The manner of election, appointment, tenure, resignation and vacation of Shareholder Directors shall be governed by the relevant provisions of the Companies Act, 2013.
- (11) No member of Power Exchange or their client shall be on the Board of Directors of any Power Exchange.
- (12) The Power Exchanges which have been granted registration by the Commission prior to the date of coming into force of these regulations, shall within a period not exceeding one year from the date of coming into force of these regulations, align the governance structure as specified in this Regulation.

18. Qualifications and Disqualifications for appointment as Director on the Board of Power Exchange

- (1) A person to be appointed as Director on the Board of the Power Exchange, shall have good reputation and character, and a record of fairness, integrity and honesty.
- (2) A person shall be considered as disqualified for appointment or continuation as Director on the Board of the Power Exchange, if the person:
 - (a) is convicted by a court for any offence involving moral turpitude or fraud or any economic offence or any offence against any law and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the conviction:
 - Provided that if the person is convicted of any offence and sentenced in respect thereof to imprisonment for a period of seven years or more, such a person shall not be eligible to be appointed as a Director in any Power Exchange; or
 - (b) is found guilty in any proceedings for non-compliance of any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made thereunder or any order made by the Appropriate Commission or the Appellate Tribunal for Electricity and a period of five years has not elapsed from the date of the order; or
 - (c) is restrained, prohibited or debarred from holding the post of a director in the Board of a company by any other authority constituted under any law in force in India; or
 - (d) has an adverse order against him by a competent court or tribunal in a winding up proceedings; or
 - (e) is an undischarged insolvent; or
 - (f) has applied to be adjudicated as an insolvent and the application is pending; or
 - (g) is found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force.
- (3) No person who suffers from any of the disqualifications for appointment of director prescribed under Companies Act, 2013 shall be eligible for appointment or continuation as Director on the Board of the Power Exchange.
- (4) If any shareholder of the Power Exchange suffers from any of the disqualifications mentioned in clauses (2) and (3) of this Regulation, such shareholder or its nominee shall be debarred from being appointed as Director on the Board of the Power Exchange.
- (5) If any dispute arises as to whether a person is disqualified to be a Director on the Board of a Power Exchange, the decision of the Commission shall be final.

19. Bye-laws, rules and business rules of Power Exchange

- (1) The Power Exchange shall function according to its bye-laws, rules and business rules as approved by the Commission, which amongst others, shall cover the following:
 - (a) Qualifications for membership, exclusion, suspension and expulsion of members of the Power Exchange;
 - (b) Risk management;
 - (c) Price discovery and matching mechanism, including market splitting to handle congestion in transmission corridor, till such time the responsibilities are transferred to the Market Coupling Operator in respect of Day Ahead Contracts or Real-time Contracts or any other contracts as notified by the Commission;
 - (d) Reporting of default (delivery of electricity or payment or both) and penalty mechanism;
 - (e) Penalty for deviation from contract;
 - (f) Transaction fee;
 - (g) Trading margin for a Trader Member and service charge for a Facilitator Member;

- (h) Clearing and Settlement procedure;
- (i) Rights and liabilities of its members;
- (j) Timeline for publishing trading and settlement calendar;
- (k) Transaction timelines;
- (l) Procedure from opening of the platform up to its scheduling by Load Despatch Centre;
- (m) Market surveillance and investigation;
- (n) Procedure for handling default;
- (o) Dispute resolution mechanism;
- (p) Maintenance of records and accounts;
- (q) Preparation of annual accounts and audit thereof;
- (r) Mechanism for redressal of grievances;
- (s) Exit scheme;
- (t) Indemnification of Central Transmission Utility, National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centres and State Load Despatch Centres by the Power Exchange.
- (2) No amendment to the bye-laws, rules and business rules shall be carried out without prior approval of the Commission:

Provided that the Commission may, through a separate order, dispense with the requirement of prior approval for amendment of certain provisions of the bye-laws, rules and business rules;

Provided further that such amendments shall be required to be approved by the Board of Directors of the Power Exchange.

20. Management of Power Exchange

The senior management of the Power Exchange shall comprise of at least three full-time professionals having qualifications and experience in the following areas:—

Discipline	Qualification and Experience
Power system operations	Degree in engineering with at least 10 years of experience in the field
Finance, Commerce, Economics and Accounts	CA/ ICWA/ MBA (Finance)/Post graduate degree in Economics with at least 10 years of experience in the field
Information Technology	Degree in Computer Science/Computer Application/Information Technology with at least 10 years of experience in the field

21. Membership in Power Exchange

- (1) Membership of the Power Exchange shall be of the following three categories:
 - (a) Trader Member: Any person who has been granted licence for trading in electricity under Trading Licence Regulations, 2020 and admitted as a member of the Power Exchange shall be called a Trader Member. Trader Member shall trade and clear on its own account or trade and clear on behalf of its client:
 - Provided that a Trader Member or any of its Associates shall not be a Facilitator Member.
 - (b) Proprietary Member: Any person who is a distribution licensee or a deemed distribution licensee or a grid connected entity and admitted as a member of the Power Exchange shall be

called a Proprietary Member. Proprietary Member shall transact and clear through its own account.

- (c) Facilitator Member: Any person who is neither a Trader Member nor a Proprietary Member and admitted as a member of the Power Exchange for providing one or more of the following services to its clients to facilitate transactions at the Power Exchange shall be called a Facilitator Member:
 - (i) IT infrastructure for bidding on electronic exchange platform or skilled personnel.
 - (ii) Facilitation of clearances for delivery of power:

Provided that the Facilitator Member shall not provide any credit or financing or working capital facility to its client.

22. Reporting about Members of the Power Exchange

- (1) The Power Exchange shall submit to the Commission the details of the members as per the format (Form XVI) appended to these regulations.
- (2) In case any discrepancy is found in the transactions of a member in contravention of these regulations, the Commission may, after giving the member of the Power Exchange an opportunity of being heard in the matter, direct the Power Exchange to debar or revoke the membership of such member. Any such direction will be without prejudice to any action against the Power Exchange under these regulations.
- (3) The Commission may direct the Power Exchanges to introduce qualification test for personnel handling electronic trading terminals and trading in electricity.
- (4) A Power Exchange shall stipulate criteria for membership of the Power Exchange including Net worth, minimum base capital, security deposit requirement and liquid asset requirement.
- (5) The Power Exchange shall maintain supporting documents provided by the members for obtaining membership including the documents evidencing compliance with any criteria specified by the Power Exchange and furnish it to the Commission on being required to do so. These documents shall be maintained upto a period of five years after the member has surrendered membership or ceases to be a member of the Power Exchange.

23. Power Exchange transaction fee

No Power Exchange shall charge transaction fee exceeding 2 (two) paise/kWh from either party to the transactions covered under Clauses (1) to (3) of Regulation 5 of these regulations:

Provided that transaction fee shall not include the charges for scheduled energy, open access (transmission charge, operating charge and the application fee) and transmission losses:

Provided further that the Power Exchanges shall be required to obtain approval of the Commission for the transaction fee to be charged by the Power Exchanges based on types of contract or quantum of transaction or duration of transaction or such other factor(s) as may be proposed by the Power Exchanges within a period of six months of the date of coming into force of these regulations or six months from the date of registration of the Power Exchange, whichever is later.

24. Trading margin and service charge

- (1) A Trader Member shall charge trading margin in accordance with the provisions of Trading Licence Regulations, 2020 in respect of all transactions carried out through the Trader Member at the Power Exchange.
- (2) A Facilitator Member shall not charge service charge of more than two (2.0) paise/kWh, including service charges for any subordinate service providers, for providing services for the transactions on Power Exchange:

Provided that the service charge shall not include any charges levied by Power Exchange, transmission charges for open access, charges payable to National Load Despatch Centre or Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre and statutory taxes.

25. Approval or Suspension of Contracts by the Commission

(1) The Commission may, on its own or on an application made in this behalf, permit any Power Exchange to introduce new contracts as specified in clause (1) of Regulation 4 of these regulations:

Provided that no permission shall be required for the contracts which are being transacted on a Power Exchange on the date of coming into force of these regulations;

Provided further that the Power Exchanges may introduce new bid types or modify existing bid types conforming to the types and features of the contracts specified under Regulations 4, 5 and 6 of these regulations, after consultation with stakeholders and National Load Despatch Centre, under intimation to the Commission, along with the details of consultation with stakeholders and National Load Despatch Centre and the views of the Power Exchange.

- (2) Any Power Exchange seeking permission to introduce a new contract under clause (1) of this Regulation, shall submit to the Commission complete and detailed contract specifications including the following:
 - (i) Type of contract;
 - (ii) Price discovery and matching methodology proposed;
 - (iii) Timelines, including commencement of bidding and duration of bidding session till delivery commences;
 - (iv) Delivery mechanism and delivery duration i.e. whether delivery is for intraday, daily, weekly, monthly, seasonal, yearly or beyond;
 - (v) Risk management mechanism including margining and final price settlement mechanism;
- (3) The Commission may, after granting the concerned Power Exchange the opportunity of being heard, by order, suspend transactions of any contract for the period specified in the order or withdraw any contract from the Power Exchange.

26. Risk Management by Power Exchanges

- (1) The Power Exchange shall develop and implement a prudent risk management framework by adopting best practices, which shall be dynamic based on the changing risk profiles of the market.
- (2) The Power Exchange shall constitute a Risk Assessment and Management Committee (RAMC) headed by an Independent Director of the Board, which shall monitor adherence to the risk management framework by the Power Exchange.
- (3) RAMC shall also review the risk management framework on a six-monthly basis in January and July each year. The six-monthly report of RAMC shall be submitted to the Board of Directors.
- (4) The report of RAMC along with decision of the Board of Directors thereon shall be submitted to the Commission not later than end of March and end of September each year respectively.

27. Clearing and Settlement

(1) The Power Exchange shall carry out the Clearing and Settlement of any transaction of electricity undertaken on the Power Exchange in accordance with the provisions of the Payment and Settlement Systems Act, 2007:

Provided that Power Exchanges which have been granted registration by the Commission prior to the date of coming into force of these regulations shall be required to carry out the Clearing and Settlement of any transaction of electricity undertaken on the Power Exchange in accordance with the provisions of the Payment and Settlement Systems Act, 2007, within a period of one year from the date of coming into force of these regulations or such other period as may be approved by the Commission:

Provided further that till such time the Power Exchanges carry out Clearing and Settlement in terms of the proviso above, the Power Exchanges shall comply with the following:

- (i) The Power Exchange shall constitute a SGF Management Committee headed by an Independent Director of the Board and with adequate representation from the members of the Power Exchange. This committee shall be responsible for overseeing the management of Settlement Guarantee Fund.
- (ii) The Power Exchange shall invest the proceeds of Settlement Guarantee Fund in safe investments and ensure that the principal amount is not at risk. Not less than fifty percent (50%) of the proceeds of Settlement Guarantee Fund shall be kept in safe liquid investments, including but not limited to fixed deposits with Scheduled Public Sector Banks, Treasury Bills and Government Securities.
- (iii) The Power Exchange shall distribute at least 70% of the return earned on the initial security deposit invested in the financial year to the members of Power Exchange in proportion to initial security deposit of the member and duration for which such deposit was held with the Power Exchange, within 45 days of the last date of the financial year.
- (iv) The principles and methods of usage of the Settlement Guarantee Fund shall be clearly communicated to the members and clients through the bye-laws, rules and business rules of the Power Exchange.
- (v) Details of investment of the Settlement Guarantee Fund shall be submitted to the Commission on an annual basis along with Annual Report of the Power Exchange.
- (vi) Members' risk shall be monitored constantly and margin money shall be collected at appropriate time for efficacy of risk management.
- (vii) Members shall pay the margin money on a gross basis across clients to the Power Exchange, without offsetting the margin requirements of their clients in the same market.
- (viii) Members shall, wherever applicable, have a prudent risk management and system of timely margin collection from their clients. The margins collected by members from clients shall be in accordance with the bye-laws, rules and business rules of Power Exchange.
- (ix) A member or client may be declared a defaulter by the Power Exchange if the member or client:
 - (a) is unable to fulfil its Clearing or Settlement obligations towards the Power Exchange or its client; or
 - (b) admits or discloses its inability to fulfil or discharge its duties, obligations and liabilities towards the Power Exchange or its client; or
 - (c) fails or is unable to pay within the specified time, the damages and the money difference due on a closing-out effected against him under the rules, bye-laws and business rules of the Power Exchange; or
 - (d) fails to pay any sum due to the Power Exchange which may be stipulated from time to time; or
 - (e) fails to abide by the arbitration award as laid down under the rules, bye-laws and business rules of the Power Exchange; or
 - (f) does not abide by conditions as may be laid down by the Power Exchange from time to time.
- (x) In the event a member or client is declared a defaulter and the member or client fails to meet the Clearing or Settlement obligations, the Power Exchange shall give precedence to the payment of charges due to system operator and payment of transmission charges from the deposits of the member or the client, as the case may be. Thereafter, the Power Exchange may utilise the Settlement Guarantee Fund and other monies to the extent necessary to fulfil the obligations of the defaulting member or client in the following order-

- (a) Liquidation of collaterals: Contributions or deposits, including margins in any form, of the defaulting member or client.
- (b) Liquidation of security deposit: Membership deposit given by the defaulting member to the Power Exchange.
- (c) Insurance money: Insurance taken by the Power Exchange of an amount as considered appropriate by the Power Exchange for protection against defaults.
- (d) Initial contribution by the Power Exchange towards the Settlement Guarantee Fund.
- (e) Current year's profits of the Power Exchange including fines, penalty collected from members.
- (f) Retained earnings of the Power Exchange.
- (g) Contribution towards Settlement Guarantee Fund by all members or clients: All non-defaulting members or client's contribution in proportion of deposits towards Settlement Guarantee Fund.
- (h) Balance obligations remaining outstanding after above funds will be met by contribution from members or clients in proportion to their contribution to the Settlement Guarantee Fund

28. Information Technology Infrastructure and Trading System of Power Exchange

- (1) Power Exchange shall use electronic trading system and telecommunication network;
- (2) The bids entered by a member of Power Exchange shall be first checked against availability of funds or collateral in the risk management system before being accepted in the bid book of the Power Exchange;
- (3) Automated audit trail of bids, matching of bids and execution of transactions shall be maintained.
- (4) The algorithm of the software application for price discovery and market splitting shall be in compliance with the requirement specified in Regulation 5 as applicable and methodology mentioned in the bye-laws, rules and business rules of Power Exchange. The Power Exchange shall get the algorithm audited before commencement of operations and thereafter, once in every two years and submit the findings of the audit to the Commission. The resources employed shall have competence in audit of algorithms and relevant industry certifications such as CISA (Certified Information Systems Auditor) from ISACA or shall have empanelment with the Standardization Testing and Quality Certification Directorate under the Ministry of Electronics & Information Technology.
- (5) The Commission may audit or appoint an agency to audit the software applications used by the Power Exchanges for price discovery and market splitting on a random basis. The Power Exchanges shall provide to the Commission results of test cases and scenarios given by the Commission.
- (6) Power Exchange shall also carry out periodic IT system audit for data security, data integrity and operational efficiency for every financial year and submit its reports to the Commission by 30th June following the end of the financial year.
- (7) Power Exchange shall formulate and implement a cyber security and cyber resilience framework to manage risk to systems, networks and databases from cyber-attacks and threats with the approval of the Board and submit it to the Commission for information. Security audit of the IT systems shall be carried out each year from a CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) empanelled organisation.
- (8) Power Exchange shall establish and maintain a disaster recovery site and alternate trading facility for business continuity in case of emergency.
- (9) The Power Exchange shall discharge the responsibility of activities mentioned in Clauses (3) to (5) of this Regulation in respect of Day Ahead Contracts or Real-time Contracts or any other contracts

as notified by the Commission until the time the Commission issues notification for transfer of these responsibilities to the Market Coupling Operator.

29. Miscellaneous Provisions relating to transaction on Power Exchange

- (1) Any deviation from the schedule of transactions on the Power Exchange shall be settled in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014, as amended from time to time and any re-enactment thereof.
- (2) All data transfer by the Power Exchange(s) with the National Load Despatch Centre shall be done electronically through a secure communication channel.
- (3) The Power Exchange shall be responsible for payment of transmission charges, scheduling and system operation charges to Load Despatch Centres and State Transmission Utility as per the regulations of the Commission and State Electricity Regulatory Commissions.
- (4) Indemnification by Power Exchange
 - (a) The Power Exchange shall indemnify the National Load Despatch Centre to the effect that clearance advice issued by National Load Despatch Centre is on good faith.
 - (b) The Power Exchange shall indemnify that in case of curtailment, the Central Transmission Utility, National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centres and State Load Despatch Centres shall not have any financial liability on account of inability, for any reason whatsoever, to achieve the complete matching between the advice of the National Load Despatch Centre and the final schedules.
 - (c) The Power Exchange on its own behalf and on behalf of its buyers and sellers, shall keep National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centres and State Load Despatch Centres indemnified at all times and shall undertake to indemnify, defend, save and hold them harmless from any and all damages, losses, claims and actions, including those relating to injury to or death of any person or damage to property, demands, suits, recoveries, costs and expenses, court costs, attorney fees, and all other obligations by or to third parties, arising out of or resulting from the transactions.

30. Congestion Amount management

- (1) The Power Exchange may be vested with congestion amount arising from the difference in market prices of different regions as a consequence of market splitting.
- (2) The congestion amount shall be maintained in a separate account by the Power Exchange which shall be transferred to the Power System Development Fund in the manner as specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Power System Development Fund) Regulations, 2019, as amended from time to time and any re-enactment thereof, or utilised in any manner as may be decided by the Commission.

31. Information Dissemination by Power Exchange

- (1) The Power Exchange shall display on its website links to all the relevant websites.
- (2) Prices, volumes, transaction fees and historic prices of power traded shall be made available on the website of the Power Exchange and should be in downloadable format. In addition, the data shall be made available through Application Programming Interface (API).
- (3) Maximum, minimum and average of the traded prices for the month and average volume cleared for all type of contracts transacted on the Power Exchange shall be published on its website.
- (4) The Power Exchange shall publish on its website, data tables with aggregate demand and supply curves for each type of contract involving collective transactions.
- (5) The Power Exchange shall provide to the Commission details of all transactions on a monthly basis in the formats (Forms I-XV) appended to these regulations:
 - Provided that the Commission may, by order, modify or introduce formats from time to time.

- (6) The Power Exchange shall submit to the Commission, bids of all participants along with required analysis, as and when directed by the Commission.
- (7) The Power Exchange shall organize, on a regular basis, member or client awareness programmes across the country.
- (8) Power Exchange shall create and maintain a document on its website providing detailed description of the algorithm used for price discovery for all type of contracts. The description shall include bid types, details of how the algorithm results in maximisation of economic surplus taking into account various bid types and congestion in transmission corridor, which shall be updated with every new version of the price discovery algorithm:

Provided that Power Exchanges which have been granted registration by the Commission prior to the date of coming into force of these regulations shall publish this document on their website within a period of three months from the date of coming into force of these regulations.

32. Market Surveillance by Power Exchange

- (1) Power Exchange shall set up a surveillance department which shall carry out day to day monitoring and surveillance of transactions and undertake analysis as mentioned in clause (5) of this Regulation.
- (2) Power Exchanges shall ensure that market surveillance is executed from a physically secure and restricted area by authorised personnel. Information, data security, and audio recording of conversations of such personnel shall be maintained by the Power Exchange for a period of two years and made available to the Commission, if so directed.
- (3) The Power Exchange shall constitute a Market Surveillance Committee (MSC) headed by an Independent Director of the Board and having members from the executive team of the Power Exchange. No member of this committee shall be a member of the Power Exchange.
- (4) The surveillance department shall analyse bidding patterns and transactions of participants and submit its analysis and report to the Market Surveillance Committee.
- (5) The Market Surveillance Committee shall submit quarterly surveillance report to the Commission within 30 days after the end of every quarter and shall include the following but not limited to:
 - (a) Transaction pattern of members of Power Exchange over a specific time period;
 - (b) Daily, weekly, monthly volatility analysis of prices;
 - (c) Price setter analysis of buyer and seller;
 - (d) Dominant position by Market Participants;
 - (e) Monitoring of Circular Trading;
 - (f) Analysis of sudden high transaction volumes of members of Power Exchange;
 - (g) Analysis of default by any member of Power Exchange;
 - (h) Analysis of transactions to check that the market splitting as approved by the Commission is being followed in case of congestion in transmission corridor;
 - (i) Analysis of market concentration in daily transactions; and
 - (j) Analysis of marginal buyers and sellers, whose volume was cleared at the margin.
- 33. The Power Exchange shall submit its Annual Report along with its audited balance sheet by 30th September every year to the Commission.

34. Exit Scheme

The Power Exchanges shall get their exit scheme in the event of closure of the Power Exchange or revocation of registration of the Power Exchange, approved by the Commission at the time of registration. The exit scheme shall provide the manner in which:

- (1) the running contracts on the Power Exchange shall be closed or the succession plan for all transacted contracts; and
- (2) any claims pertaining to pending arbitration cases, arbitration awards, liabilities or claims of contingent nature and unresolved investors complaints or grievances lying with the Power Exchange would be settled by the Power Exchange.

35. Revocation of registration of Power Exchange

- (1) The Commission may, for reasons to be recorded in writing and after giving the Power Exchange an opportunity of being heard, revoke the registration granted to the Power Exchange in any of the following events:
 - (a) If the functioning of the Power Exchange is in violation of any terms and conditions of these regulations or terms of registration;
 - (b) If the shareholding of the Power Exchange is in violation of the terms and conditions of these regulations;
 - (c) If the Power Exchange indulges in market manipulation or insider trading;
 - (d) In case the Net worth of the Power Exchange reduces at any time below the specified amount as provided in Regulation 14 of these regulations;
 - (e) In case the Power Exchange fails to comply with any direction of the Commission;
 - (f) In case the Power Exchange makes an application for revocation of registration.
- (2) Notwithstanding revocation of the registration of Power Exchange, contracts executed prior to such revocation shall remain valid and their performance shall be ensured by the Power Exchange through Exit Scheme or as directed by the Commission.

36. Grievance Redressal of Members and Clients

- (1) The Power Exchange shall constitute a Grievance Redressal Forum, headed by an Independent Director.
- (2) Power Exchanges shall disclose, on their website, the details of complaints lodged by members against Power Exchange and by clients against its members and status of resolution of the grievance.
- (3) Power Exchanges shall also disclose, on their website, the conflict resolution mechanism followed and the result of grievance resolution.
- (4) The Commission may call for information on redressal of any specific grievance by the Power Exchange.

Part -5

Market Coupling

37. Objectives of Market Coupling

- (1) Discovery of uniform market clearing price for the Day Ahead Market or Real-time Market or any other market as notified by the Commission;
- (2) Optimal use of transmission infrastructure;
- (3) Maximisation of economic surplus, after taking into account all bid types and thereby creating simultaneous buyer-seller surplus.

38. Designation of Market Coupling Operator

Subject to provisions of these regulations, the Commission shall designate a Market Coupling Operator who shall be responsible for operation and management of Market Coupling.

39. The provisions with regard to market coupling and Market Coupling Operator in these regulations shall come into effect as and when decided by the Commission in accordance with the regulations to be specified separately.

Part -6

OTC Platform

- 40. OTC Platform shall operate after obtaining registration under these regulations.
- 41. The objectives of the OTC Platform shall be:
 - (1) To provide an electronic platform with the information of potential buyers and sellers of electricity;
 - (2) To maintain a repository of data related to buyers and sellers and provide such historical data to Market Participants;
 - (3) To provide such services as advanced data analysis tools to Market Participants.

42. Participants on OTC Platform

The following shall be eligible for participation in the OTC Platform:

- (1) grid connected entities such as generating companies, distribution licensees, open access consumers or any person acting on their behalf; and
- (2) Trading Licensees.

43. Eligibility Criteria for registration of OTC Platform

- (1) The eligibility criteria for registration of OTC Platform shall be as follows:
 - (a) Any company incorporated under the Companies Act, 2013;
 - (b) The minimum Net worth of the applicant shall be Rs. 1 crore as on any date falling within 30 days immediately preceding the date of filing the application for grant of registration.
- (2) A Power Exchange or Trading Licensee or any of their Associates or grid connected entities shall not be permitted to set up, operate, or have any shareholding in an OTC Platform.

44. Procedure for filing Application and Grant of Registration

- (1) Application for grant of registration to establish and operate OTC Platform shall be filed online on the website of the Commission, in accordance with the guidelines for registration and filing application as may be notified.
- (2) The Commission may, after consideration of the proposal, and making such inquiries as may be necessary, either grant registration or reject the application of the applicant.
- (3) The registration of an OTC Platform shall continue to be in force for a period of five (5) years from the date of grant of registration unless such registration is revoked or cancelled earlier.
- (4) The Commission may, on an application filed by the OTC Platform, and after making such inquiries as may be necessary, renew registration for a further period of 5 years.
- (5) Any company granted registration to operate an OTC Platform by the Commission in accordance with these regulations shall pay an annual registration charge in accordance with the timeline and the manner specified in the Payment of Fees Regulations.

45. Documents required to be submitted along with the application

- (1) Memorandum and Articles of Association of the company making the application;
- (2) The audited special balance sheet as on any date falling within 30 days immediately preceding the date of filing the application for grant of registration showing the Net worth of the applicant;
- (3) Copies of the Permanent Account Number (PAN), Tax Deduction and Collection Account Number (TAN) and Income Tax Return (ITR) for the previous year of the company making the application.

46. Obligations of the OTC Platform

- 1) The OTC Platform shall not engage in the negotiation, execution, clearance or settlement of the contracts.
- 2) The OTC Platform shall maintain neutrality without influencing the decision making of the Market Participants in any manner.

47. Revocation of registration

The Commission may, for reasons to be recorded in writing and after giving the OTC Platform an opportunity of being heard, revoke the registration accorded to the OTC Platform in case the OTC Platform fails to comply with the terms and conditions of the registration or any direction of the Commission.

Part - 7

Market Oversight

48. Objectives of market oversight

- (a) To detect and prevent market manipulation, insider trading, cartelization and abuse of dominant position by any Market Participant;
- (b) To ensure that Market Participants have confidence in the integrity and fairness of power markets;
- (c) To ensure that the prices are discovered in a transparent and competitive manner.

49. Procedure for market oversight

- (1) The market oversight shall include, but not limited to, the following:
 - (a) procedure for registration of Market Participants;
 - (b) mechanism for collecting data from Market Participants;
 - (c) details of Market Participants or any other entities who shall furnish information;
 - (d) details of information to be furnished by the entities specified in clause (c) above;
 - (e) periodicity and formats for reporting of information;
 - (f) measures to prevent any misuse of or unauthorised access to the information furnished by Market Participants;
 - (g) conducting analytics and market surveillance based on the data furnished by the Market Participants;
 - (h) conducting analytics and market surveillance based on the reports furnished by the NLDC as specified by the Commission;
 - (i) any other information as may be required by the Commission.
- (2) The Commission may, on being satisfied, that any of the following circumstances exist, order inquiry or investigation in accordance with the provisions of the Act:
 - (a) Non-compliance of the statutory obligations by Market Participants:
 - (i) Violation or non-compliance of any of the provisions of these regulations;
 - (ii) Non-compliance of the orders of the Commission issued for contravention of these regulations;
 - (iii) Delay or non-submission of information sought under sub-clause (d) of clause (1) of this Regulation or any other information sought by the Commission;
 - (b) Involvement of Market Participants in any of the activities, including but not limited to the following:

- (i) Market manipulation;
- (ii) Any form of cartelization;
- (iii) Insider trading;
- (iv) Abuse of dominant position by any Market Participant.

50. Intervention by the Commission

On receipt of any information or report under clause (2) of Regulation 49 of these regulations, the Commission may, after giving such opportunity to the concerned Market Participant, to make a representation in connection with the report and after considering representation, if made, by order:

- (a) require the concerned Market Participant to take such action in respect of any matter arising out of the report as the Commission may deem fit; or
- (b) impose penalty in accordance with the provisions of the Act; or
- (c) debar the concerned Market Participant from participating in any of the contracts mentioned in Regulation 4 of these regulations for a period as may be decided by the Commission; or
- (d) direct the Power Exchange to cancel membership of a member; or
- (e) suspend or cancel the registration of the Power Exchange under these regulations; or
- (f) suspend or cancel the registration of the OTC Platform under these regulations.

51. Other circumstances requiring intervention

- (1) The Commission may, on being satisfied that a situation of abnormal increase or decrease in prices or volume of electricity in the Power Exchange exist or is likely to occur in the market, by an order, give such directions as may be considered necessary.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the power under clause (1) of this Regulation, the Commission may, by order in writing:
 - (a) impose floor and cap on prices of electricity in the Power Exchange;
 - (b) suspend transaction activities on the Power Exchange for a cooling off period, in case of increased volatility;
 - (c) suspend transaction of any specific contract on Power Exchange;
 - (d) regulate the transaction fee charged by the Power Exchange;

52. Power to issue interim orders

Where during an investigation or intervention, the Commission is satisfied that an act in contravention of these regulations has been committed and/or continues to be committed or that such act is about to be committed, the Commission may, by order, temporarily restrain any person from carrying on such act until the conclusion of such investigation or intervention or until further orders, after giving notice to such person.

53. Power of inspection

- (1) The Commission may at any time undertake inspection, conduct inquiries or audit of any Power Exchange, either through its officers or through a third-party agency, in accordance with the provisions of the Act.
- (2) Where an inspection under clause (1) of this regulation is undertaken by the Commission, such Power Exchange and every Director, Manager, officer and any other employee of such Power Exchange shall cooperate for such inspection, inquiries or audit.

Part-8

Miscellaneous

54. Saving of inherent powers of the Commission

- (1) Nothing in these regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary for meeting the ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Commission.
- (2) Nothing in these regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of these regulations, if the Commission, in view of the special circumstance of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for so dealing with such a matter or class of matters.
- (3) Nothing in these regulations shall bar the Commission to deal with any matter or exercise any power under the Act for which no provisions have been made in these regulations, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it deems fit.

55. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Commission may, by order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

56. Power to relax

The Commission may in appropriate cases and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations.

57. Repeal and Savings

(1) Save as otherwise provided in these regulations, the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010 and all subsequent amendments thereof shall stand repealed from the date of commencement of these regulations.

(2) Notwithstanding such repeal:

- (a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken or any registration or permission granted or any document or instrument executed or any direction given under the repealed regulations shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these regulations, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.
- (b) any order or direction issued or approval granted, or any appointment made in pursuance of the repealed regulations shall, if in force at the commencement of these regulations, continue to be in force, and shall have effect as if made, directed or issued under or in pursuance of these regulations, unless otherwise specifically required under these regulations.

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./105/2021-22]

Form I

Volume and Price of Electricity traded in Day Ahead Market through Power Exchange (Day wise)

Name of Power Exchange:

Month:

		Max No of Buy Bids in	Number	Total	Max No of	Number	Total	Un-	Market Clearing	Unc	onstraine	d MCP	Marko	et Clearin (MCP)	g Price
S. No.	Date of Delivery	Buy Bids in 15 Min. Block	of Buy Bids	Buy Bid in MUs	Sell Bids in 15 Min. Block	70.7	Sell Bid in MUs	constrained MCV in MUs	Volume (MCV) in MUs	Min ₹/kWh	Max ₹/kWh	Weighted average ₹/kWh	Min ₹/kWh	Max ₹/kWh	Weighted average ₹/kWh
1															
2															
3															
4															
5															
6			_	_											
7															

Note: (1) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission

Note: (2) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Form II

Volume and Price of Electricity traded in Day Ahead Market through Power Exchange (Block wise)

Name of Power Exchange:

Month:

Date:

Block		Buy Bids		Sell	Bids	Unconstrained MCV	Unconstrained	Market Clearing	Transaction Fee (₹/kWh)
No.	Time	Number of Bids	Volume in MUs	Number of Bids	Volume in MUs	in MUs	MCP (₹/kWh)	Volume in MUs	
1	00:00 - 00:15								
2	00:15 - 00:30								
3	00:30 - 00:45								
4	00:45 - 01:00								
5	01:00 - 01:15								

Note: (1) Data shall be submitted for each day of the month.

Note: (2) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission

Note: (3) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Form III

Volume and Price of Electricity traded in Day Ahead Market through Power Exchange (Area wise)

Name of Power Exchange:

Month:

s	Delivery	Block	Delivery	Congestion occurred during the	Unconstrained	Market Clearing	Market Clearing		A1			A2		
No.	Date	No.	Time	block (If Yes put 1, If No put 0)	MCV (MU)	Volume (MCV) (MU)	Price (MCP) (₹/kWh)	Buy Volume (MU)	Sell Volume (MU)	Price (₹/kWh)	Buy Volume (MU)	Sell Volume (MU)	Price (₹/kWh)	
1														
2														
3														
4														
5														

Note: (1) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission

Note: (2) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Form IV

Volume and Price of Electricity traded in Term Ahead Market through Power Exchange

Name of Power Exchange:

Month:

S.		od of action ate)	Time of T		Actual Scheduled		Seller			Buyer		Trade	TransactionFee
No.	From (Date)	To (Date)	From (HH:MM)	To (HH:MM)	Volume (MUs)	Name of Seller	Category	State	Name of Buyer	Category	State	Price (₹/kWh)	(₹/kWh)
A	INTRA	DAY			L		<u>I</u>		I	L		I.	
1													
2													
В	DAY Al	HEAD CO	NTINGENCY	?	l	ı	I.		I	l		I.	
1													
2													
С	DAILY	ı			l	ı	ı		ı	l		•	
1													
2													
D	WEEKI	LY			•		•	•		•	•	•	
1													
2													
E	Any oth	er Contra	cts		•	•	•	•	•	•	•		•
1													
2													

Note: (1) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission

Note: (2) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Note: (3) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table

Form V

Volume and Price of Electricity traded in Green Term Ahead Market through Power Exchange

Name of Power Exchange:

Month:

		od of action ate)	Time of T	ransaction urs)	Actual Scheduled		Seller			Buyer		Trade	Transaction
S. No.	From (Date)	To (Date)	From (HH:MM)	To (HH:MM)	Volume (MUs)	Name of Seller	Category	State	Name of Buyer	Category	State	Price (₹/kWh)	Fee (₹/kWh)
A	INTRA	DAY	I		I	ı	I	ı	I		ı	I	
1													
2													
В	DAY Al	HEAD CO	NTINGENCY	7	•	ı			I			l	
1													
2													
С	DAILY					•			•				
1													
2													
D	WEEKI	LY					•	•			•	•	
1													
2													
E	Any oth	er Contra	cts		•	•	•	•	•		•	•	
1													
2		_											

Note: (1) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission

Note: (2) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Note: (3) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table

Form VI

Volume and Price of Electricity traded in Real Time Market through Power Exchange (Day wise)

Name of Power Exchange:

Month:

		Max No of Buy Bids in	Number	Total Ruy Rid	Max No of Sell Bids in	Number	Total Sell Rid	Un- constrained MCV	Market Clearing Volume	Unco	nstrainec	І МСР	Mark	et Clearin (MCP)	g Price
S. No.	Date of Delivery	15 Min. Block	of Buy Bids	in MUs	15 Min. Block	D: 1.	in MUs		(MCV) in MUs	Min ₹/kWh	Max ₹/kWh	Weighted average ₹/kWh	Min ₹/kWh	Max ₹/kWh	Weighted average ₹/kWh
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															

Note: (1) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission

Note: (2) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Form VII

Volume and Price of Electricity traded in Real Time Market through Power Exchange (Block wise)

Name of Power Exchange:

Month:

Date:

Block		Buy	Bids	Sell	Bids	Unconstrained MCV	Unconstrained	Market Clearing	Transaction Fee (₹/kWh)
No.	Time	Number of Bids	Volume in MUs	Number of Bids	Volume in MUs	in MUs	MCP (₹/kWh)	Volume in MUs	
1	00:00 - 00:15								
2	00:15 - 00:30								
3	00:30 - 00:45								
4	00:45 - 01:00								
5	01:00 - 01:15								

Note: (1)Data shall be submitted for each day of the month.

Note: (2) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission

Note: (3) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Form VIII

Volume and Price of Electricity traded in Real Time Market through Power Exchange (Area wise)

Name of Power Exchange:

Month:

				Congestion occurred		Market Clearing	Market Clearing		A1			A2		
S No.	Delivery Date	Block No.	Delivery Time	during the block (If Yes put 1, If No put 0)	Unconstrained MCV (MU)	Volume (MCV) (MU)	Price (MCP) (₹/kWh)	Buy Volume (MU)	Sell Volume (MU)	Price (₹/kWh)	Buy Volume (MU)	Sell Volume (MU)	Price (₹/kWh)	
1														
2														
3														
4														
5														

Note: (1) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission

Note: (2) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Form IX

Volume and Price of Renewable Energy Certificates (RECs) traded through Power Exchange

Name of Power Exchange:

Month:

S. No	Type of REC	Volume of Buy Bid	Volume of Sell Bid	Volume of RECs (No. of RECs)	Weighted Average Price of RECs (₹/REC)
1	Solar				
2	Non-Solar				

Note: (1) 1 REC = 1 MWh

Note: (2) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission

Note: (3) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Form X

Volume of Electricity/RECs traded by Buyers and Sellers through Power Exchange

Name of Power Exchange:

Month:

c	Name of Buyer/Seller (Client)				ıme trad M (in M			ne tradeo A (in MU			me trade M (in M			Volu	ıme of F	RECs tra	aded	
No.	Buyer/Seller (Client)	Category	State	Sell	Down	Total	Sell	Dave	Total	Sell	Dur	Total		Solar]	Non-Sola	ar
				Sell	Buy	Total	Sen	Buy	Total	Sell	Buy	Total	Sell	Buy	Total	Sell	Buy	Total
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		

Note: (1) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission

Note: (2) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Note: (3) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table

Form XI

Volume of Electricity/RECs traded by Trader Members through Power Exchange

Name of Power Exchange:

Month:

s			Volum	ne traded (in MU	in DAM		me trad M (in M		Volum	e traded i (in MU)			Vo	lume of 1	RECs tra	ded	
No.	Name	Category	Sell	Buy	Total	Sell	Buy	Total	Sell	Buy	Total		Solar		ľ	Non-Sola	r
			5612	Zuj	10	Sen	Zuj	1000	5011	Duj	2044	Sell	Buy	Total	Sell	Buy	Total
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

Note: (1) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission

Note: (2) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Note: (3) Full form of the abbreviations used for Name of the Member shall be provided at the end of the Table

Form XII

Volume of Electricity/RECs traded by Facilitator Members through Power Exchange

Name of Power Exchange:

Month:

G			Volum	e traded (in MU	in DAM		me trad M (in M		Volum	e traded i (in MU)			Vo	lume of l	RECs tra	ded	
S No.	Name	Category	Sell	Buy	Total	Sell	Buy	Total	Sell	Buy	Total		Solar		N	lon-Sola	r
											1041	Sell	Buy	Total	Sell	Buy	Total
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

Note: (1) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission

Note: (2) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Note: (3) Full form of the abbreviations used for Name of the Member shall be provided at the end of the Table

Form XIII

Volume of electricity traded through Power Exchange (Bid type wise)

Name of Power Exchange:

Month:

						Bi	d Types				
S No.	Delivery	Sing	le Bid	Block	k Bid	Parent	Child Bid	Minimum (Quantity Bid	Profile	Block Bid
	Date	Number of bids	Volume (in MU)	Number of bids	Volume (in MU)	Number of bids	Volume (in MU)	Number of bids	Volume (in MU)	Number of bids	Volume (in MU)
1											
2											
3											
4											
5											

Note: (1) Any other type of bid on the Power Exchange should be included as and when approved &introduced.

Note: (2) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission

Note: (3) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Form XIV

Congestion Revenue (Block wise)

Name of Power Exchange:

Month:

							Price		
S. No.	Delivery Date	Block No.	Time	Congested Corridor	Power Flow over Congested Corridor in kWh (A)	Upstream (₹/kWh) (B)	Downstream (₹/kWh) (C)	Difference (₹/kWh) (D)= (B) - (C)	Congestion Revenue (in ₹) for the Block (E)=((A) * (D))/4
1									
2									
3									
4									
5									

Note: (1) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission

Note: (2) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Form XV

Volume and Price of Energy Savings Certificates (ESCerts) traded through Power Exchange

Name of Power Exchange:

Month:

S. No	Date	Volume of Purchase Bid	Volume of Sell Bid	Number of Participants	Trade Volume of ESCerts	Price Discovered (₹/ESCert)
1						
2						

Note: (1) 1 ESCert = 1 MTOE (Metric Tonne of Oil Equivalent)

Note: (2) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission

Note: (3) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Form XVI

Contact Details of Members

Name of Power Exchange:

Month:

S No	Name	Category	Contact Person	Registered Office Address	Phone Number	Email id
1						
2						
3						
4						
5						

Note: (1) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission

Note: (2) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)